

GOVERNMENT SERVANTS (RECEIPT OF FEE) BILL*

श्री जाजं फरनेन्डीज : (बम्बई दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों से असम्बद्ध कार्य के लिये उन के द्वारा फीस की प्राप्ति के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the receipt of fee by Government servants for work not connected with their duty as Government servants."

The motion was adopted.

श्री जाजं फरनेन्डीज : मैं विधेयक को पेश करता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Yashpal Singh may move his motions now.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of article 130)

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री यशपाल सिंह : मैं विधेयक को पेश करता हूँ।

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Seventh Schedule)

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री यशपाल सिंह : मैं विधेयक को पेश करता हूँ।

15.14 hrs.

TREASON BILL—Contd.

by Shri Yashpal Singh

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Yashpal Singh on the 9th August, 1968 :—

"That the Bill to provide for punishment to persons found guilty of treason and matters connected therewith, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1968."

Shri Sheo Narain to continue his speech. One hour and 46 minutes is the time at our disposal. I do not know how much time the Minister will take.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI S. RAMASWAMY : About 10 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : So, every Member should be very brief.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री यशपाल सिंह, ने जो इस आशय का प्रस्ताव रखा है कि सरकार को देश-द्रोहियों के विरुद्ध बड़ा सख्त कदम उठाना चाहिये, मैं उसका समर्थन करता हूँ। आज हमारे देश की सीमाओं पर—पूबी, पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर—छड़ाई के बादल मंडरा रहे हैं। आज दुश्मन हमारे विरुद्ध कुचक्र रच रहे हैं और हमारे देश को हड़पना चाहते हैं। इस लिये मैं श्री यशपाल सिंह को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ठीक समय पर सरकार को सचेत करने के लिये, जनता को जाग्रत करने के लिये और देश को बचाने के लिये यह बिल पेश किया है।

दुनिया में देश-द्रोह मे बड़ा कोई जर्म नहीं होता है। अगर यह सरकार देश-द्रोहियों के साथ जरा भी रियायत करेगी, तो उस को एक मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं होगा। अगर उन ने मजबूती के साथ ठीक कदम उठा कर देश-द्रोहियों का दमन नहीं किया, तो हमारे देश की नीका मंझधार में डूब जायेगी।

15.16 hrs.

[SHRI R. D. BHANDARE in the Chair]

मूझे खुशी है कि इस समय डिफेंस मिनिस्टर और डिप्टी होम मिनिस्टर सदन में मौजूद हैं। वे हमारी बातों को सुनें। मैं कोई मामूली बात नहीं कह रहा हूँ। माननीय सदस्य, श्री यशपाल सिंह, ने भारत माता की रक्षा, उस की मर्यादा की रक्षा हेतु इस बिल को पेश किया है। मैं इस सदन को, देश को, अपने नवयुवकों को और अपने वयोवृद्ध नेताओं का आह्वान करता हूँ और उन से प्रार्थना करता हूँ कि वे सब इस पवित्र और महत्वपूर्ण काम में अपना योगदान करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य को बहुत खटक रहा है, लेकिन "कड़वी भेषज बिन पिये मिटे न जन की ताप।" मैं यह कड़वी भेषज दे रहा हूँ। मेरे मित्तों को बड़ा खल रहा है।

मैं गवर्नमेंट में कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के कई भागों में जो इनफिन्ट्रिटर घूम रहे हैं, उन के प्रति वह सजग रहे। मैं एक हिन्दुस्तानी की हैसियत से श्री राममूर्ति से कहना चाहता हूँ कि वह ज़रा कलेजे पर हाथ रख कर सोचें कि आज मैं क्या कह रहा हूँ। ये बुलेट्स कहाँ जा रही हैं? ये उन के सीने के पार जा रही हैं। मैं किसी पोलिटिकल पार्टी या व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं हर एक देशद्रोही को कन्डेम करना हूँ, चाहे वह कोई भी हो। मैं देश और उसकी मर्यादा की रक्षा के लिये यूनिवर्सिटियों के छात्रों और देश के नवयुवकों का आह्वान करता हूँ।

1942 में जब हम लोग विद्यार्थी थे, तो हम ने देश की स्वतंत्रता के लिये आन्दोलन किया और अंग्रेजों को देश से निकाल बाहर किया? गांधी जी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और सरदार पटेल द्वारा लाई गई आजादी के साथ आज मखौल किया जा रहा है। आज देश-द्रोही हमारे मुल्कों की एजेंटी करने के लिये तैयार हैं। वे दूसरे मुल्कों से पैसा मंगा कर इस देश की नाव को डुबाना चाहते हैं। मैं गवर्नमेंट को पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर उस ने इस बिल को स्वीकार करके विद्रोहियों का समय रहते मुकादला नहीं किया, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जायेगा? वह सीमाओं की रक्षा करने के लिये देश का आह्वान करे। दश उस के साथ है? देश की रक्षा करने के लिये हर एक हिन्दुस्तानी कटिबद्ध है। देश की रक्षा के सम्बन्ध में देश में कोई डिसयूनिटी नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह देश में बढ़िया मिलिटरी ट्रेनिंग की व्यवस्था करे। देश में अच्छे बच्चे पैदा किये जायें। (व्यवधान) यह बात इन को खटक रही है। आज मुझे इस देश में वीर अभिमन्यु चाहिये, जो पाकिस्तान और चीन को करारा जबाव दे सके। गवर्नमेंट को भी एलर्ट हो कर, मजबूती के साथ देश की रक्षा की तैयारी करनी चाहिये।

[श्री शिव नारायण]

में देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का आह्वान करना चाहता हूँ कि वे भामाशाह बनें। जब देश पर आपत्ति आये, तो वे अपनी तिजोरियां और खजाने खोल दें।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : राणा प्रताप लाओ, तो भामाशाह भी आ जायेगा।

श्री शिव नारायण : राणा प्रताप मौजूद है। पिछली बार में जब जापान ने हमला किया था, तो टाटा ने रेल खोल दी थी। हमारे देश में राणा प्रताप भी हैं और भामाशाह भी हैं। राणा प्रताप की औलाद हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमारे नौजवानों की रगों में खून है। आज मुझे इस देश में तानिया टोपे चाहिये, मीर कामिम चाहिये—मीर जाफ़र नहीं चाहिये—, रफी अहमद किदवई चाहिये। आज देश को ऐसे त्यागियों की जरूरत है। श्री यशपाल मिह को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सुझाव दिया है, उस से देश में एकता आयेगी, देश उस में प्रेरणा लेगा, नौजवान उस से सबक लेंगे और पूरा देश निर्गंजंडे की शान को बनाए रखने के लिये तैयार होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने देश की रक्षा के लिये हम सब को कटिबद्ध रहना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुगदाबाद) : मभापति महोदय, देश में सब से महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय देश की स्वतन्त्रता का है, इस बारे में दो मत नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, स्वतन्त्रता उस के लिये मूल्यवान है और स्वतन्त्रता की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है।

अध्यक्ष महोदय, आज इस देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के जो विपरीत आचरण करते हैं उसके लिये यह बिल उपस्थित किया गया है। मैं आज यह कहने का साहस कर रहा हूँ कि देश आज बाहर के दुश्मनों से घिरा हुआ है,

पाकिस्तान और चाइना खुले रूप में हमारे देश के खिलाफ खड़े हुये हैं हमला करने के लिये। मैं उन से नहीं डरता ? बाहर के दुश्मनों का मुकाबिला करने के लिये भारतवर्ष में क्षमता है और यह मेरा विश्वास है जब तक इस देश के राजपूत, जाट, डोगरे, मराठे, सिख और गोरखे इस देश में उपस्थित हैं, संसार की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इस देश की एक इंच भूमि भी हम से ले सके। परन्तु बाहर के दुश्मन से, घर का शत्रु ज्यादा खतरनाक होता है और इस देश का इतिहास बताता है, इस देश में करोड़ों की आबादी होते हुए भी मुट्ठी भर विदेशियों ने इस देश पर शताब्दियों तक शासन किया इसका मुख्य कारण देश के आन्तरिक शत्रु थे। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ स्वर्गीय मरदार वल्लभ भाई पटेल के उन शब्दों की ओर कि इस देश को कभी बाहर के दुश्मनों में खतरा नहीं रहा, जब कभी खतरा रहा है तो इस देश के अन्दर के शत्रुओं से रहा है। मैं आप से कहना चाहता हूँ, इस देश में एक ही आदमी ने जिस का नाम जयचन्द था, अकेले इस एक आदमी ने इस देश का इतिहास बदल कर रख दिया था। परन्तु आज इस देश में एक जयचन्द नहीं है। करोड़ों जयचन्द हैं जो रहते, खाते, पीते, सोते यहाँ पर हैं लेकिन जिन का दिल व दिमाग चीन, रूस, पाकिस्तान, अमेरिका व इंग्लैंड में है। इस प्रकार के जयचन्द अनेकों इस देश में हैं। मेरा किसी विचारधारा से मतलब नहीं, चाहे वह साम्यवाद को मानें या वह किसी भी प्रकार की विचारधारा या धर्म को मानें। परन्तु सब से बड़ा इस देश का दुर्भाग्य यह है कि यहाँ ऐसे लोग रहते, खाते-पीते और सोते हैं जिन के दिल और दिमाग बाहर से गाइड होते हैं, बाहर से जिन को आदेश आते हैं। स्थिति यहाँ तक है कि जाड़े के दिन हैं, लोग जाड़े से मर रहे हैं। कहीं वर्षा है नहीं। लेकिन छाता लगाए लोग दिल्ली में आ रहे हैं, नई दिल्ली की ओर ऐसा देखने में आया। यदि उन से पूछा जाय कि छाता क्यों लगाए

हुये हैं, वर्षा तो हो नहीं रही है ? तो उत्तर मिलेगा कि मास्को या पीकिंग में वर्षा हो रही है। अब बताइए, वर्षा मास्को और पीकिंग में हो रही है और छाता यहां लगाए हुए चल रहे हैं।

इसी प्रकार से यहां करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं विदेशी ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट से रुपया लेकर यहां घूम रही हैं और उन्होंने इस प्रकार के एजेंट क्रियेट कर दिये हैं जो बाकायदा भारतवर्ष के विरुद्ध किसी भी समय इस देश की पीठ में छुरा मारने के लिये खड़े हैं। उनसे ज्यादा डर है जो इस देश में रहते हुए विदेश से आदेश लेते हैं। वह ज्यादा खतरनाक हैं। एक बात उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ बाहर की सर्दी हम को जाड़े के दिन में लगती है। आज कल जाड़े के दिन हैं, हर एक आदमी को खतरा है। परन्तु हम अपनी रजाई और कोट वगैरह निकाल कर इस का मुकाबिला कर ले जाते हैं। परन्तु यही सर्दी जून के महीने में, गर्मी के दिनों में जब लू चलती होता है, उस समय जब यह रूप बदल कर के आती है और एकदम कंकपी चढ़ती है तो उस समय मुश्किल हो जाती है। जाड़े में तो हम एक रजाई ओढ़ कर सर्दी का मुकाबिला कर लेते हैं। लेकिन जब यह सर्दी आती है तो एक नहीं, दो नहीं, सब रजाइयां जितनी घर में हैं, डालने के बाद भी आदमी कांपता है और बोलता है कि और रजाई लाओ। धर्म-पत्नी या बहन बोलती है कि जाड़े में तो एक रजाई से सर्दी का मुकाबिला कर लिया करते थे, आज क्या हो गया, आज तमाम घर की रजाई डालने के बाद भी सर्दी से कांप रहे हैं, यह क्या बात है ? तो वह कहता है कि जाड़े में माघ के महीने में तो बाहर की सर्दी थी, एक रजाई से काम चल जाता है, लेकिन यह अन्दर की सर्दी है भलेरिया की। यह तमाम मुहल्ले की रजाइयां ओढ़ने से भी नहीं जाएगी। इस लिये आज देश को खतरा बाहर के शत्रु पाकिस्तान और चाइना से

नहीं, उनके मुकाबिले की हमारे अन्दर ताकत है। खतरा तो देश के अन्दर के पंच-मांगी लोगों से है जो रहते, खाते, पीते, मांते, बैठते यहां पर हैं और साठ-गाठ किये हैं विदेशों से। उन के साथ कड़ाई से व्यवहार नहीं किया जायगा तो यह देश खतरे में पड़ जायगा। आज ही समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है, लोग तैयारी कर रहे हैं कि इस देश में चाइना के हथियारों से खूनी क्रांति हो अमेरिका के पैसे से यहां जगह-जगह अमेरिकन पाकेट्स तैयार हों, जगह-जगह पाकिस्तान के पैसे से उन की इस देश में यूनिशन तैयार हो जाय। किसी न किसी रूप में इस प्रकार की प्रवृत्ति आज इस देश में चल रही है। भिन्न-भिन्न नामों से, और भिन्न-भिन्न रूपों में, कभी भाषा का नाम ले कर, कभी धर्म का नाम ले कर और कभी और कोई नाम ले कर भिन्न-भिन्न रूप धारण कर के वह पंचमांगी राज-द्रोही, देशद्रोही इस देश में आ रहे हैं और मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ इस सदन में सभी पार्टियों के सदस्यों से, सभी पार्टियों को मिल कर एक बात पर समझौता करना चाहिये। आप अपनी विचारधारा के आधार पर इस देश में शासन स्थापित करें इसमें कोई दो मत नहीं है। आप कीजिए। आप प्रजा-तन्त्र के आधार पर कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन इस देश में रहते हुए, इस देश के हितों की उपेक्षा कर के जो विदेशों से साठ-गाठ करते हैं, विदेशों से आदेश लेते हैं, वह देशद्रोही हैं, उन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिये।

दुर्भाग्य इस बात का है कि वह देशद्रोही आज भिन्न-भिन्न नामों की आड़ में यहां से बच निकलते हैं। कानूनी गिरफ्त से भी निकल जाते हैं। इसलिये उन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये जरूर यह बात आनी चाहिये गवर्नमेंट इस बात में कमजोर है। और यह बात मेरी समझ में नहीं आती, इस कमजोरी का कारण क्या है ? स्थिति यहां तक है कि कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के अपने आफिस में काम करने

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

वाले व्यक्ति के द्वारा सारी सूचनाएं बाहर पहुंच गई। अकसाई चीन और यहां पर हमारे बीच समझौते की बात आई थी, चाइना वालों से हमारे आदमी गए मिलने के लिये तो जितने हमारे आबजेक्शन्स थे और जितनी सफाई की बातें थीं वह चाइना वालों के पास, उस की कापी पहले से तैयार थी और उन का जबाब भी तैयार था। लड़ाई के जमाने में हमारी सारी फौजी तैयारी की सूचना पाकिस्तान को पहले ही पहुंच चुकी थी जब 65 में उस ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। उनको सब कुछ पता था जब कि हमें उन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इसलिये इस प्रस्ताव का महत्व है क्योंकि यहां एक दो नहीं, हजारों लाखों आदमी ऐसे हैं जो यहां रहते हैं लेकिन किमी का वहनोई पाकिस्तान में है, किमी का भाई पाकिस्तान में है, किसी का और कोई वहां है। यह रिश्तेदारी का सम्बन्ध कायम है। अगर इस पर कड़ाई के साथ व्यवहार नहीं किया जायगा तो इस देश की जो स्थिति आज है उस में आप की कोई भी तैयारी, कोई भी काम आप का ऐसा नहीं है जो चाइना से, पाकिस्तान से या अमेरिका से छिपा हुआ हो। आज इस देश में पैसे के बल पर उन्होंने एजेंट पैदा किए हुए हैं जो इस देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप के दफ्तरों में से फाइलों की फाइलें गायब हो जाती हैं और आप को पता नहीं है। इस को रोकने का एक ही ढंग है। इन के साथ कड़ाई के साथ व्यवहार होना चाहिये और कोई समझौता उन के साथ नहीं होना चाहिये।

इसलिये मैं भाई यशपाल जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और इन के बिल का समर्थन करता हूँ। यह महत्वपूर्ण बिल है। देश की स्वतन्त्रता और रक्षा का प्रश्न है, इस बिल को जनता में सर्कुलिट करना चाहिये और देश की विचारधारा इस पर जान कर, इतना कड़ा इस के ऊपर कानून बनाना चाहिये जिस से इस देश में कोई भी इस देश के विपरीत

जयचन्द बनने की कोशिश न करे। अगर कोई जयचन्द बनने की कोशिश करे तो उसका कोई स्थान इस सदन में या देश में नहीं होना चाहिये। उस का स्थान या तो जेलखाने की दीवारों के पीछे होना चाहिये या फांसी के तख्ते पर होना चाहिए। तीसरा स्थान इस प्रकोप के पंचमांगियों का नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि पूरा सदन इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur):
Mr. Chairman, Sir, I congratulate my god brother Shri Yashpal Singh for having brought forward the Bill. It is a very comprehensive Bill. He has taken a lot of pains in defining many things. For instance, he has defined who is an enemy. Now, if the former Minister of Communications had been here, I mean, Shri Satya Narayan Sinha, he would have told you how many secrets were passed on to Pakistan by some of the Indian nationals. They were such secrets as were prejudicial to the defence of India. Therefore, an enemy is a person who tries to sabotage the efforts of India at the defence of the country in times of crisis.

Again, who is an enemy agent? Now, we have told the Chinese Embassy not to send any invitation directly to any citizen of India. And yet the Chinese Embassy is sending invitations directly to some of the citizens of India and some citizens of India accept the invitations and go there. I do not say they are enemy agents. But, certainly, they are acting in a way which is not favourable to India and which boosts up the morale of enemy country and tries to give a sort of respectability to a country which is not friendly to India.

Now, I read everyday in papers that India and China are going to have a dialogue. I do not know what kind of dialogue they are going to have. I am told that the Colombo proposals have been put in cold storage and there may be some new proposals. Well, they may or may not come. But the fact of the matter is that those persons who are in touch with those countries which are hostile to us, such as, China and

Pakistan, must be look upon as enemy agents for they are responsible for the leakage of many of the secrets of this country. So many cases have come to the notice of this House also.

Then, there are official secrets. There are files and files. One day, a friend of mine who sits on those Benches produced a letter written by a Minister to the Secretary and that letter was of a very very secret nature, of a confidential nature. I asked him how he was able to get hold of that letter,—he is a very dear friend of mine; he did not mean any harm to the country—and he said,—“I can get you any letter that you want.” So, there are no official secrets here. Whatever happens in Parliament at 5 o’ clock is known in Sadar Bazar at 5.15 P.M. Whatever happens in the Cabinet at 6 P.M. is known all over India at 6.15 P.M. We have lost the capacity to keep secrets and we do not distinguish between secrets and official secrets. Such persons should be punished.

We are living in the midst of saboteurs. As you know, a saboteur is one of the most insidious enemies of any country. You must have heard about that Filby affairs; you must have heard about that Burgess affair. Those persons were working in the Intelligence Department in U.K. and yet they were passing secrets to Soviet Union. If in a country like U.K. a thing like that can happen, I do not understand how it cannot happen in a country like mine which is so big and which consists of so many ethnic groups and so many different types of inhabitants. Therefore, I think, any saboteur who indulges in an act of sabotage or attempts to destroy any public property belonging to a citizen of India which is deemed to be important for defence and security of the country should be dealt with very very squarely.

Then, Mr. Yashpal Singh, my God-brother, has come to ‘treason’...

SHRI SURENDRANATH DWIVEDI (Kendrapara): This is unparliamentary.. (*Interruptions*):

AN HON. MEMBER : He is coining new words.

SHRI D. C. SHARMA : All these persons are very inexperienced. I am a teacher of literature. I know how to coin new words.

I was saying about ‘treason’. How many persons have been brought to book on account of treason? I think, they are very few. Why? It is because the cases are so faulty, so defective, in legal procedure and in legal content that they get caught. Therefore, treason has become here a laughable offence. It has become something which one need not take seriously. What Mr. Yashpal Singh wants is this that all offences, which are unpatriotic, which are against the interests of the country, should be taken seriously. He has also provided for penalties and the penalties, I must say, are in conformity with the kind of social justice for which our country stands. For instance, we should have a Tribunal and that Tribunal should decide. We should have a Tribunal of some persons and they should decide whether the offence is right, whether the offence has been committed or not.

So far as ‘sabotage’ and other things are concerned, he has said that there should be a panel of judges and those judges should be of the rank of High Court judges.

Therefore, what I mean to say is this. This Bill seeks to remedy the social, political and patriotic ills of our country and, at the same time, it tries to do so in a manner which meets with natural justice, social justice and laws of equity. Therefore, I think, that this Bill should be given the widest possible publicity, so that people come to know of this and realise that nobody should commit an offence of this kind. I think, we should have a nation of patriots. We have a nation of patriots. There should be nobody in this country who would try to go against the interests of this country. This is the aim of this Bill and, I think, the whole House should support this Bill with one voice.

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peer-made): I think that there is absolutely no necessity for this kind of legislation at this moment. I am rather provoked to participate in this debate by a speech that preceded Shri D. C. Sharma's speech, the speech made by my hon. friend on the right, Shri Tyagi. Perhaps many hon. members might not have seriously listened to that speech, but it is on record, and I should say that I am ashamed that in the sovereign Parliament of India we have yet to hear ideas and opinions that reflect perhaps certain views that people held a few hundred or thousand years back.

Sir, if, as my hon. friend is trying to say, we are trying to divide our country on the basis of religion and community and then try to dub and stamp an entire community as traitors I do not know where we are heading to. That was precisely what my hon. friend was trying to do unfortunately. Sir, in the name of supporting a Bill like this, if a Member of Parliament can say that crores of people in this country are not loyal to this country, that they live here, but their souls are somewhere else, that their spirit is somewhere else, that they are loyal to somebody else, and that they should be considered as traitors.

SHRI OM PRAKASH TYAGI : No, no, no.

SHRI VASUDEVAN NAIR : That was what was said here....

MR. CHAIRMAN : That was not the theme of his speech.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। कोई भी रेलिजन, जाति या विचार मानने वाला व्यक्ति जो कि इस देश में रहता है, यह देश उसका है, यह देश सभी का है। मैं केवल उसके खिलाफ हूँ जो कि इस देश में रहता है, खाता-पीता है लेकिन विदेश के साथ साठ-गांठ करता है वह कम्युनिस्ट हिन्दू है, मुसलमान है या इसाई है, अथवा कोई भी है वह ट्रेटर है। वह व्यक्ति जो कि इस देश में रहता है, खाता-पीता है लेकिन इस देश के खिलाफ आचरण करता है,

साठ-गांठ करता है, वह ट्रेटर है। इस देश में, जिसका आपने जिक्र किया है, वह एक नहीं है, बहुत हैं। मुसलमानों का मैं बड़ा अदब करता हूँ, श्री रफी अहमद किदवाई, खान अब्दुल-गफ्फार खां जैसे करोड़ों आदमी हैं जिनका मैं आदर करता हूँ। इस लिये मेरी शंका न किसी जाति के बारे में है, न किसी धर्म के बारे में है बल्कि मैं केवल देशद्रोहियों के खिलाफ हूँ।

SHRI VASUDEVAN NAIR : Unfortunately I have to depend upon the translation because I don't know his language. But, Sir, it is a very serious matter. In the original speech it was said that there are crores of people in this country who live here but their souls are not here. We are intelligent enough to understand the meaning of what people say. (Interruption) If he did not mean it then I am happy about it. Now, Sir, the point is this. Now, in this country, today, I hope we have laws to deal with people who indulge themselves in anti State activities. If somebody thinks, that is to say, simply because he belongs to some particular party, simply because he subscribes to some particular ideology, simply because he belongs to some particular religion.. (Interruption) A reference was made to Christian missionaries.

SHRI OM PRAKASH TYAGI : Foreign, correct it.

SHRI VASUDEVAN NAIR : Foreign missionaries, I will correct it, of course. But foreign missionaries do not come here in this Bill. Because, we are dealing with people who are Indians, people who may engage in anti-State activities. After all this Bill is to deal with that.

SHRI OM PRAKASH TYAGI : The Mizo and Naga revolts are the creations of the foreign missionaries. They are the root cause.

SHRI VASUDEVAN NAIR : We are dealing with Indian nationals who may be misled or whatever may be the reason, who may be acting against the

interest of the State, against the national interest. Now, nobody will plead for them. There are enough laws in this country to deal with them. But if there is any attempt from any quarter to condemn an entire set of people...

SHRI OM PRAKASH TYAGI : Never.

SHRI VASUDEVAN NAIR : on the basis of ideology or religion....

SHRI OM PRAKASH TYAGI : No.

SHRI VASUDEVAN NAIR : I know there was an effort in this country in that direction; we had an exhibition of that in this House also. I take serious objection to that, to such kind of propaganda. That is the kind of attitude that does the greatest harm to the country and to the concept of the integration of the country. I do not doubt their *bona fides*. They may be well-meaning. But for the sake of the unity of the country, I will request them to understand that basically this country is a multi-lingual country, a multi-religious country, a multi-national country.

SHRI OM PRAKASH TYAGI : No, not multi-national.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Bhopal): This is a Union of States, not of nations.

SHRI VASUDEVAN NAIR : This is my view. You cannot impose unity. You cannot impose a kind of integration from above through the throats of people, unless it is built up with the consent of the people.

SHRI OM PRAKASH TYAGI : We are not multi-national. We are one nation.

SHRI VASUDEVAN NAIR : After all, the people that comprise the various States where different languages are spoken are, according to me, well defined, with their language, their traditions, their culture. Of course, there is an Indian-ness which puts them together.

SHRI RABI RAY (Puri): That is the essence.

SHRI VASUDEVAN NAIR : But let us understand that they are different from many other countries in the world. In India, these national states are well-defined, much more developed than other states (*Interruptions*).

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara): They are States of the Indian Union. We have no national states.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : He has no conception of the Indian Constitution.

श्री कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) :
प्वाइन्ट आफ आर्डर सर।

अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि क्या कोई सदस्य हमारे विधान के खिलाफ, जो हमारे विधान में है उसके खिलाफ, यहां पर बोल सकता है और उसके लिये प्रचार कर सकता है ? जिसने विधान की ओष ली है और जबकि विधान में यह स्पष्ट है कि यह देश एक राष्ट्र है, एक नेशन है, उसके पश्चात् भी हमारे लायक दोस्त कहने जा रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे नेशनस हैं। यह सही है कि कम्युनिस्ट बहुत सारे नेशनस बनाना चाहते हैं, तोड़ तोड़ करके लेकिन हमारे विधान ने तो एक ही राष्ट्र बनाया है जिसकी कि उन्होंने शपथ ली हुई है। इसलिये मैं समझता हूं किसी भी सदस्य को विधान के खिलाफ यहां पर बोलने की अनुमति नहीं होनी चाहिये।

SHRI VASUDEVAN NAIR : I am not contradicting that concept at all.

MR. CHAIRMAN : We are a federation, not different nations.

SHRI VASUDEVAN NAIR : I did not mean that.

MR. CHAIRMAN : We are one nation.

SHRI VASUDEVAN NAIR : I did not contradict that.

MR. CHAIRMAN : We are a federation, not a confederation. Please con-

[Mr. Chairman]
fine your remarks to the Indian nation as one nation.

SHRI VASUDEVAN NAIR : In my remarks, I never meant that we are different nations. In the Indian nation, the different States that we have..

MR. CHAIRMAN : They are not nations; they are units.

SHRI VASUDEVAN NAIR : They are States, quite different from many other countries. These States are more well-defined and more developed with their traditions and language. You cannot hope to take them for granted. There is a certain trend of thinking in this country which hopes to build up a kind of unity on the basis of a unitary Constitution. They claim to be upholders of the Constitution. Do they know that they are talking against the Constitution when talk of a unitary Constitution ? The Jana Sangh in this country has been thinking about, and propagating for, division of the country on the basis of religions. What do they think of a federal constitution, federation ? So, they can go about saying anything, about communities and then propagating all kinds of things. I do not go into all that politics. They always say that they are the upholders of the Constitution. Therefore, let them not claim too much. That will not help in any way. They cannot blackmail people like that.

So, this kind of legislation also will not help. Let us try to understand each other. There are minorities in this country. They may not be in hundreds of millions, but they have a right to live in this country with honour and dignity. Their susceptibilities should not be hurt by such remarks as were made by an hon. member in this House today.

श्री रवि राय (पुरी) : मन्नापति जी यह जो बिल जिसका नाम दिया गया है ट्रीजन बिल, इस बिल के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। असल में मैं इस बिल का जिस ढंग से यह लाया गया है इसका मैं विरोध करना चाहता हूँ, खास करके मेरे से पहले जो नायर साहब बोले हैं उनकी गलतफहमी दूर हो गयी हो

कि हम अब एक राष्ट्र हैं, एक नेशन हैं, हिन्दुस्तान भिन्न-भिन्न नेशन में बंटा हुआ नहीं है, एक नेशन है इस चीज को सामने रख कर के हमें इस चीज के बारे में विचार करना चाहिये। असल में मुख्य चीज इस बिल के बारे में यह कही गयी है कि जो लोग राष्ट्र के खिलाफ राजद्रोह करते हैं, राजद्रोह में अपराधी हैं उन लोगों के खिलाफ यह बिल लाया गया। जिस ढंग से इस बिल का चिट्ठा किया गया है, आप जानते हैं कि इस में एक शब्द है सेबोटाज। फिर कहा गया है इसके स्टेट-मेंट आफ आबजेक्ट्स और रीजन्स में कि :

"The Bill seeks to provide for penalties for activities like treason, sabotage etc., aimed at overthrowing the lawful Government through means other than constitutional, thereby weakening the Indian nation in its efforts to thwart the evil intentions of the enemy."

मन्नापति जी मैं, आपके जरिये प्रस्तावक को कहना चाहता हूँ कि पिछले 21 साल में देश-द्रोह, राजद्रोह या राष्ट्र के खिलाफ कौन-कौन काम किये हैं इसका ब्योरा लेंगे तो पहला मुजरिम कांग्रेस दल होगा क्योंकि जिस ढंग से देश की हमारी रक्षा और विदेश नीति को चलाये हैं और लाखों वर्ग मील जमीन जिम ढंग से चीन को सौंपी गयी है और जिस ढंग से किया गया है इसका पहला दोषी, राजद्रोह का अपराधी कांग्रेस दल है। मैं यशपाल सिंह जी से सहमत हूँ कि पहले तो कांग्रेस दल की जो रक्षा नीति और विदेश नीति रही है, और इसको चलाने के लिये जो जिम्मेदार हैं, उस पर पहले इस बिल के चलते जुर्माना होना चाहिये, उनको गिरफ्तार करना चाहिये। सवाल यह है कि हमारे देश में जो वामपन्थी कम्युनिस्ट कहलाते हैं तो उनकी कुछ चीन के प्रति ममता है, उस चीन के प्रति ममता को हम नापसन्द करते हैं। लेकिन कांग्रेस दल की नीति के चलते जो लाखों वर्ग मील जमीन को खास कर के तिब्बत की स्वाधीनता को आप गंवाये हैं, तिब्बत को चीन के अधीन कर

दिया है, और इसके चलते वामपन्थी कम्युनिस्टों ने यह नहीं कहा कि तिब्बत को चीन को सौंप दो । तो इसलिये इस बिल का जो मुख्य उद्देश्य है उसको जब हम मद्देनजर रखेंगे और जो इसका चिट्ठा है उसको ध्यान में रखते हुये मैं प्रस्तावक महोदय से अनुरोध करूंगा कि पिछले 21 साल की पृष्ठ भूमि है उसको देखते हुए जिन लोगों ने देश के खिलाफ राजद्रोह किया है और एक विदेशी शक्ति को न्योता दे कर के तिब्बत जैसे राष्ट्र की स्वाधीनता और उसकी आजादी को खोया है, ऐसे लोगों के बारे में सजग होना चाहिये ।

इसलिये मैं कहता हूँ कि हमारे देश में जो ढंग चलता है और जिसका यह मतलब है कि हम देश को मजबूत करना चाहते हैं, राज्य को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें दोनों चीजों के बारे में फर्क करना चाहिये—एक तो है राष्ट्र जो देश हमारा है, तो देश के प्रति हम सब की ममता है, भारत माता के प्रति ममता है । लेकिन जो सरकार सामने बैठी है इसके प्रति हमारी ममता नहीं है । सरकार और राज्य दोनों में फर्क होना चाहिये । राष्ट्र हमारा है, सब हिन्दुस्तानियों का है, लेकिन सरकार को हम हजार बार बदलना चाहते हैं क्योंकि इस सरकार की विदेश नीति और रक्षा नीति के चलते हमारी लाखों वर्ग मील जमीन पाकिस्तान और चीन के कब्जे में चली गयी है । इस पृष्ठ भूमि को जब हम नजर में रखेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं उन के खिलाफ मौजूदा कानूनन जो सरकार के पास है उसका सहारा ले कर सरकार कार्यवाही कर सकती है । इसलिये मैं नहीं चाहता कि जो सरकार खुद राजद्रोही है उसको इतनी शक्ति दी जाये जिसको हम विरोधी दलों के खिलाफ वह प्रयोग में लाये ।

आप जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने अभी हड़ताल की उस के लिये इस सरकार ने यह शब्द अपनाया कि सैबोटाज

है और इसमें भी वही शब्द है । इसलिये जब तक यह सरकार केन्द्र में मौजूद है तब तक मैं इस तरह के बिल को पसन्द नहीं करूंगा । केन्द्र से जब कांग्रेस दल हट जाता है और उसके बाद जो नयी सरकार आयेगी तो फिर इस बारे में सोच विचार हो सकता है, क्योंकि इस सरकार में हमारा भरोसा नहीं है कि यह सरकार राष्ट्र की हिफाजत कर सकती है। अभी जो तर्क दिये गये उनसे साबित होता है कि जो मौजूदा कानून है उसके अधीन राजद्रोह तथा देश के खिलाफ काम करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है, इसलिये किसी नये कानून की आवश्यकता नहीं है । इसलिये मैं अदब से यशपाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के बिल को वह वापस लें, और खास करके जो लोग चीन को लाखों वर्ग मील भूमि दे चुके हैं उन लोगों के खिलाफ जो बिल आयेगा उसकी मैं ताईद करूंगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूँ ।

SHRI SAMAR GUHA (Contai) :
Sir, I welcome the spirit and objectives of this Bill. I extend my support to it, although it requires some amendments here and there. To-day our country is really in danger—I will say—not only from external aggression but the possibility of internal aggression too. I just want to remind the House that at the time of civil war in Spain, General Franco made an arrogant announcement that besides the four columns of Army that encircled Barcelona, there would be a fifth column working for him from inside the besieged city. From then on this word 'fifth column' has become a well-known political epithet. Franco then said 'I have a secret army inside Barcelona'. It was the fifth column which actually brought down the Republican Government from inside. It is well-known that the Maginot Line of France did not yield to the onslaught of Hitler's army. France fell because it was the fifth column inside that created a rumour in that country

[Shri Samar Guha]

that France has already fallen and the Maginot Line broke.

16 HRS.

It is also known that Hitler in the second world war conquered many of the countries before his army crossed the frontiers of those States. These were all done by the fifth column. Therefore, the danger of the fifth column is a real danger for any country of the world, and particularly for our country when it is semi-circled by two treacherous enemies.

There is another danger in the name of political ideology and in the name of ideological revolution. I quite agree that every country, and particularly our democratic country, has every right to discuss the theories of revolution and of political idealogies, but if on the basis of those theories, any political element wants to subvert our sovereignty, wants to subvert our national defence, to subvert the rock-bottom of our nation, then certainly no nation can tolerate it.

I would remind you that at the time of the Chinese aggression, some political party—an all-India party—refused to make a public statement that China made any aggression at all on the frontiers of India. This is a known fact. Not only that, even about three months back, the Secretary of the West Bengal Communists (Marxist) Party made a categorical statement at Gauhati that just to get a few seats “we are not going to declare either Pakistan or China as an aggressor”. He had made another statement at Gauhati where he has said that ‘the battle of the Mizos and the Nagas are our battle.’ *Naga aur Mizo ki ladayee hamari ladayee hai*. He made that categorical statement. I do not know whether some of the friends outside the State of West Bengal had recently visited Calcutta. They will see on the streets of Calcutta not one slogan but hundreds of slogans. Anti-national elements have plastered the walls with hundreds of slogans. I have drawn the attention of the Government to these slogans. In these slogans, they

have invited Mao, saying ‘*Amarnam tumarnam subarnam Vietnam*’, meaning, ‘my name, your name, all the names, Vietnam.’ They want Mao Tse-tung to help them to have an internal revolution inside India. My friend Shri Nath Pai had replied to that, at Calcutta by saying ‘*Amarbhumi tumarbhumi, Janmabhumi, Bharatbhumi*’; that is, ‘my land, your land is motherland, India.’

Just a few days back, there was a report in the Calcutta papers that one of the leaders of the Naxalbari group made a public statement that if arms are supplied from China to their party-men in West Bengal, and in any other part of India, they will not hesitate to accept them to have their own way of Indian revolution. Therefore this is a danger; it is not merely something theoretical but is real, particularly in the face of the situation when we are semi-circled—not entirely encircled—by two treacherous enemies.

16.03 HRS.

[SHRI GADILINGANA GOWD *in the Chair*]

Even in today's papers, you find that in the *Tibetan Review*, published from Darjeeling by the Tibetan refugees, there is a long article in which they have given the names of passes where China has indulged in an unusual massing of troops with bunkers, trenches and all that along the Himalayan borders. Recently, the C-in-C of Pakistan, Gen. Yahya Khan, successively within a short time went to Peking and had a talk with Mao Tse-tung and the C-in-C of the Chinese army. I had a talk with Bakshi Ghulam Mohammed; he is not here. I shuddered about the prospect of Kashmir. He told me that some of the very important men who are holding positions in the administration today went to Azad Kashmir, worked in the Pakistan Government and have come back and they have been taken back in the administration of our Kashmir. I do not know what will happen if there is an attempt at internal subversion of Kashmir. Pakistan is not only openly advocating but inciting the people of Kashmir to rise in revolt against India

and join hands with them. There may be changes in the wording of the Bill here and there, but considering the spirit of the Bill, I agree it should be sent for circulation. External aggression is there. But more than civil defence, what you need today is a strong measure against the possibility of internal aggression.

My hon. friend mentioned something about the Congress Government. I am not casting any aspersion on the Congress. When I talk about national defence, I do not want to cast any aspersion on this or that party. But unfortunately in the name of *Panchsheel* and under the cover of so-called political friendship, under the cover of some political ideological smokescreen, the weakness of our Government has allowed to make many treasonable slogans acceptable as political slogans in this country. I know this Government is incapable of doing anything. I know there is no strong man in this country and certainly not in the Government. What we need today is really a strong measure that will defend our country from any kind of internal aggression and internal sabotage and the activities of politicians masquerading as either revolutionaries or supporters of some political ideology.

श्री कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) :
सभापति महोदय, जो इस बिल की भावनायें हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ, और मैं समझता हूँ कि कोई भी देशभक्त, जो इस भूमि को अपनी मानता है, इस बिल को समर्थन करेगा।

वास्तव में हमारे देश को बाहर से जो खतरा है वह तो है ही, एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और वे दोनों हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कब अवसर मिले और कब हम झपटें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारा देश मजबूत रहा और हमारे अन्दर कोई खतरा नहीं रहा तो चीन या पाकिस्तान या दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत क्यों न हो, हमारे देश का कुछ बिगड़ नहीं सकती। लेकिन दुःख की

बात है कि जितना खतरा हमें बाहर से है उस से ज्यादा खतरा हमें अन्दर से है तथा सरकार इस बात की ओर ध्यान नहीं देती यह और भी खराब बात है।

जैसा मेरे मित्र ने अभी कहा यहाँ पर भाषायें अलग अलग हैं, यहाँ पर प्रान्त अलग-अलग हैं, यहाँ रिवाज और वेश भूषायें अलग अलग हैं, यह बात सही है। अगर कभी हमारे देश में कोई यह कोशिश करे कि एक ही भाषा हो, या एक ही धर्म हो या एक ही पहनावा हो, सब कुछ एक ही तरह से चले। तो शायद यह कभी भी सम्भव नहीं होगा। हिन्दुस्तान में हमेशा अलग अलग भाषायें रही हैं, अलग अलग प्रान्त रहे हैं, अलग अलग वेश भूषायें रही हैं, लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी इस देश की एक विशेषता रही है कि हम सब एक रहे हैं, मूलतः एक रहे हैं, हमारी संस्कृति की देन यह है कि अलग अलग प्रान्त होने, अलग अलग भाषायें होने, अलग अलग मत होने के बाद भी मूलतः हम सब एक राष्ट्र हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसका यह मतलब नहीं है कि जो दूसरी भाषायें बोलते हैं उनका हमें तिरस्कार करना चाहिये, उनके साथ घृणा करनी चाहिये। सारे देश की भाषायें हमारी अपनी भाषायें हैं और जिस तरीके से हम हिन्दी से प्रेम करते हैं उसी तरीके से हम देश की सभी भाषाओं से प्रेम करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहने वाला है उसका मत चाहे कोई हो, चाहे उसका धर्म कोई भी क्यों न हो, वह मन्दिर में जाता हो, गिरजा घर में जाता हो या मस्जिद में जाता हो अगर वह देशभक्त है, देश को अपना समझता है तो वह इस देश का उतना ही अधिकारी है जितना कि और कोई है। इस में कोई दो रायें नहीं हैं।

अगर कोई यह कहता है कि हमारे देश में संबोटीयज नहीं हैं या हमारे देश के अन्दर गड़बड़ करने वाले लोग नहीं हैं तो मैं समझता हूँ कि वह व्यक्ति वस्तु स्थिति से आंख मूंदता है। आप नागालैंड में देखिये, मिज़ोरम में देखिये, असम में देखिये, काश्मीर में देखिये,

[श्री कंबर लाल गुप्त :]

सारा यह जो बोर्ड है यह बहुत डिसटर्ब्ड है और दिन पर दिन इस प्रकार के तत्वों की गतिविधियां तेज होती जाती हैं। लेकिन हमारी सरकार आंख मूंदे बैठी है।

काश्मीर में क्या हो रहा है। वहां खुलेआम पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये जाते हैं, खुलेआम अयूब खां की तस्वीरें श्रीनगर के बाजारों में लटकी हुई हैं। अयूब खां की तस्वीर ले कर लोग जलूस निकालते हैं और हम कहते हैं कि वहां पर सब कुछ ठीक है...

एक माननीय सदस्य : केरल में क्या हो रहा है ?

श्री कंबर लाल गुप्त : वह भी मैं बताऊंगा आप फ्रिक् न करें। इस में आपके साथ मेरी राय भी मिलती है।

हाल ही में शेख अब्दुल्ला ने वहां एक कनवेंशन बुलाई थी और हमारे देश के एक महान नेता ने उसकी अध्यक्षता की थी। उन्होंने वहां यह कहा कि काश्मीर अलग तो नहीं हो सकता लेकिन विधान के अन्दर अन्दर रह कर उसकी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अब्बास वालों ने उसको बहुत उछाला। मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने कौन सी बड़ी मार्क की बात कह दी। क्या श्री जय प्रकाश नारायण यह बताना चाहते थे कि जहां पर आज काश्मीर है हमारे विधान के मुताबिक उस से वह पीछे जाना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो इस चीज को नहीं होने दिया जायेगा। सभापति महोदय, शेख अब्दुल्ला इस बात तक को मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि वह भारतीय नागरिक हैं। वह बाहर जाना चाहते थे। जब सरकार ने उन्हें यह कहा कि आप अपनी नेशनैलिटी बताइये। आप कहिये कि मैं भारतीय हूँ तो उसने ऐसा कहने से इन्कार कर दिया। बड़ी होशियारी से उस आदमी ने बाहर जाने का विचार त्याग दिया लेकिन अपने आपको भारतीय कहने के लिये वह तैयार नहीं हुए। यह हमेशा यह कहते हैं कि तीन पार्टियां हैं, एक काश्मीर है, एक भारत है और एक

पाकिस्तान है। यह सब कुछ होते हुए भी हमारी सरकार उन पर हाथ नहीं डालती है। पैसा उनके पास कहां से आता है, किस तरह उनकी बीबी बाहर जाती है, उनके बच्चे सारे बाहर पढ़ते हैं। साल में दो चक्कर इंग्लैंड के लगाती है। लाखों रुपया वह खर्च करते हैं। वह पैसा कहां से आता है? पाकिस्तान से ही तो आता है। सरकार को यह मालूम भी है कि पाकिस्तान मदद करता है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आंख मूंदे हुए है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। जब यहां पर हम सावाल पूछते हैं कि माओ की तस्वीर ले कर कोई चलता है या अयूब की तस्वीर कोई ले कर चलता है या नारे लगाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है तो बड़े शर्म की बात है कि हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे पास कोई कानून नहीं है जिस के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मैं समझता हूँ कि अगर इस बिल की परिभाषा को बड़ा बना दिया जाए और इस में यह व्यवस्था कर दी जाये कि अगर कोई दुश्मन के हक में नारा लगाता है या दुश्मन नेता की तस्वीर लटकाता है तो वह भी इस कानून के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तो ज्यादा अच्छा हो।

हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है कि जहां पर ट्रीजन का किसी पर मुकदमा चला करके उस मुकदमे को वापिस लिया गया है। शेख अब्दुल्ला पर यह मुकदमा चलाया गया था लेकिन उसको वापिस ले लिया गया। लाखों रुपया बरबाद इस में किया गया। शायद दुनिया के इतिहास में ऐसी चीज नहीं हुई होगी। 144 दफा को तोड़ने के जो मुकदमे होते हैं उनको तो वापिस लिया जाता था या कोई दूसरी धारा को भंग करने के जो मुकदमे होते थे उनको तो वापिस लिया जाता था लेकिन इस तरह के मुकदमों को कहीं भी वापिस नहीं लिया गया है। यहां पर इस मुकदमे को भी वापिस ले लिया गया। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही बेवकूफी की बात थी जो हमारी

सरकार ने की। आप नागालैंड को देखिये वहां पर दो सरकारें चल रही हैं। एक हमारी सरकार है और दूसरी वहां विद्रोही नागाओं ने अपनी सरकार स्थापित कर रखी है। वह सरकार खुलेआम चलती है। अभी पिछले सप्ताह नागालैंड से यहां पर एक डेप्युटेशन आया था। उस डेप्युटेशन ने खुलेआम कहा था कि नागालैंड अलग होना चाहिये। वहां हम आजाद होना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। जो गोली दागे उसको तो पकड़ लेगी लेकिन जो राष्ट्रपति बना बैठा है या प्रधान मन्त्री बना बैठा है या कमांडर इन चीफ बना बैठा है, प्रेजिडेंशल आर्डर निकालता है, अदालतें लगती हैं, किसस वसूल होते हैं, जिन की पुलिस है, मिलिटरी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। चौदह हजार लोग आज नागालैंड में ट्रेंड हैं। उनके पास आम्ब्रं हैं। यह सब कुछ होते हुए भी उनके खिलाफ हमारी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। आप यह समझते हैं कि आंखें मूंदे बैठे रहने से रास्ता निकल आएगा। यह सरासर गलत है। यही चीज मिञ्चोञ्च में हो रहा है, असम में हो रही है।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है, कोई इनकार नहीं करता है कि हमारे देश में एक सैकशन ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन की लायलटीज हमारे देश के बाहर हैं। कुछ लोग दायें और बायें में फर्क करते होंगे। बायें हों या दायें हों दोनों साथ साथ हैं और जब तक इन दोनों की गर्दन नहीं तोड़ ली जायेगी वे साथ रहेंगे। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर लायलटीज बाहर किसी देश के साथ उनकी नहीं और उसके बाद यह कहा जाए कि हर एक को खाना दो, राष्ट्रीयकरण करो तो बात मेरी समझ में आ सकती है। लेकिन देश के साथ बफादारी न करके, विधान की शपथ खाना, पार्लियामेंट में रहना और देखना रूस और चीन की तरफ, मैं

समझता हूं यह देश के साथ सब से बड़ी गद्दारी है। दुख की बात तो यह है कि सरकार ऐसी पार्टीज को प्रेस्टीज देती है, उनको आदर प्रदान करती है, उनको प्रेफेंस देती है और मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि आज वे विधान की अवहेलना करते हैं, कानून को नहीं मानते लेकिन सरकार चुप किये बैठी है। मैं चाहता हूं कि देश इस बात को समझे। मैं चाहता हूं सरकार मान या न माने यह सदन इस बिल को मजबूती के साथ पास कर दे।

कानून तो यह सरकार बहुत बनाती है, और ऐसा करने की बड़ी शौकीन भी है। कितने ही कानून इसने इकट्ठे कर रखे हैं, ताकत तो इसने बहुत इकट्ठी कर रखी है लेकिन उसको इस्तेमाल यह कभी नहीं करती है, जिन के खिलाफ इस ताकत का इस्तेमाल होना चाहिये उनके खिलाफ तो होता नहीं है और जिन के खिलाफ नहीं होना चाहिये, उनके खिलाफ हो जाता है। इस वास्ते में कहूंगा कि जरूरत इस बात की है कि देश में जागृति पैदा हो कानून के साथ-साथ और लोग यह समझें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मत का क्यों न हो, किसी पार्टी का क्यों न हो, उसको देश के साथ गद्दारी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हमारे यहां प्रजातंत्र है। इस में राय अलग अलग हो सकती है और होगी और रहनी भी चाहिये, लेकिन देश के प्रति जिस की बफादारी नहीं है उसको समाज में कोई स्थान नहीं मिलेगा, इस प्रकार की भावना हमारे देश में जागृत होनी चाहिये। हम किसी भी पार्टी के क्यों नहीं, मिल कर काफी कुछ कर सकते हैं। अगर ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा होगा।

आज आपने अखबारों में केरल की घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा। कुछ लोग हैं जो बलात रेवोल्यूशन करना चाहते हैं। उनका विश्वास पार्लियामेंटरी सिस्टम में नहीं है। केरल में फिर घेराव शुरू हो गए हैं।

[श्री कंबर लाल गुप्त]

एक कांग्रेसमैन की हत्या कर दी गई है और बहुत से लोगों को मारा पीटा गया है। यह बहुत दुख की बात है। केन्द्र को इस बारे में सख्ती से कदम उठाना चाहिये और देखना चाहिये कि हर एक आदमी के जो राइट्स हैं, कानूनी राइट्स हैं उन पर आघात न पहुँचे। जो लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में विश्वास नहीं करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये।

मैं यशपाल सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस बिल को लाने के लिये। इस मामले में जो गड़बड़ हो रही है उसके लिये यह सरकार सब से ज्यादा जिम्मेवार है। यह सरकार कम्प्रोमाइज कर लेती है हर चीज में। यह कम्प्रोमाइज की सरकार है। खिलाई को यह त्यागो। जैसा उस दिन गृह मन्त्री ने कहा था कि मैं मजबूती से जमा रहूँगा, मैं चाहता हूँ कि इस मामले में श्री सरकार मजबूती दिखाये। जो व्यक्ति देश के प्रति बफादार है उसको सरकार की तरफ से शरण मिलनी चाहिये और जो गैर बफादार हैं उसको डंडा मिलना चाहिये। यही दो तरीके सरकार को ही अपनाने चाहिये।

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Mr. Chairman, Sir, the Indian Penal Code contains a very, if I may say so, outdated and worthless Section 124A 'Sedition'. But it has no Section on 'Treason'. It is a glaring omission and we have got to fill it up.

My hon. friend, Shri Yashpal Singh, has just brought forward a Bill to set us thinking about it. You have got Sections in the Penal Code against waging wars and you have got a Section punishing those who wage a war against any country which is in alliance with India. But here, this particular case of 'treason', that is to say, helping the enemy has not been made an offence in the Penal Code. It is a glaring omission. Perhaps, the Government were depending upon the Defence of India Rules where the 'enemy' was defined and all that. Now, the Penal Code itself does not

contain the word 'enemy' or a definition of the word 'enemy'. Therefore, we have to give some careful thought to it. As I said, in the Penal Code, there is the 'Sedition' Section. That says if we excite hatred or contempt against the Government, we are punishable. But exactly that is what the opposition is doing everyday. That Section, therefore, stands virtually repealed by us and, I think, some proper time may be chosen by the Government to formally and ceremoniously repeal that.

Here also, Shri Yashpal Singh's Bill says that 'treason' means an attempt to overthrow by a person or a group of persons the legally constituted Government of India otherwise than through constitutional means. That might land us in some difficulty. His intention is very good. But we do not know what is constitutional and not constitutional always and overnight an Ordinance may be issued just as it was done in the case of the strike. The strike which was legal until 13th September was overnight made illegal by issuing an Ordinance. So, the Constitution may be changed overnight and the next day a man might be brought under the clutches of the Ordinance by amending the Constitution itself. Therefore, what I submit is that we have to give a close look at it.

So far as the object of Shri Yashpal Singh is concerned I think there can be no two opinions. Even the oath which we take is that we abide by the Constitution and be loyal to the Constitution, not to the country. I think, the word 'country' must be added in that. We must be loyal to the country as well as the Constitution.

Then, we must exactly define the word 'enemy' is and the words like sovereignty, integrity and security of the country and all that. We have to bring all these things together. There must be a comprehensive legislation embodying all these things which are here and there.

All of us are agreed on this point that we must not allow anybody to help our enemies. Who is an enemy is a question. Are those who run their Embassies in India enemies or friends? Still I am not clear about that. They are

there. Every day, we say that so and so are our enemies and yet their Embassies are in India. When we enact a law, we have to define the word 'enemy' also...

AN HON. MEMBER : Friendly enemies also.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : We have a lot of friendly enemies and inimical friends. Therefore, what I submit is that we entirely agree with the intention with which Shri Yashpal Singh has brought forward this Bill; we want to be loyal, we want the integrity of the country to be maintained, we want to be loyal to the Constitution by which we stand. But the Bill requires a closer look and whatever steps can be taken for that purpose may be taken, and in that spirit and with these few words, I support the Bill.

श्री अब्दुल गनी दार (गुडगांव) : चयर-मैन साहब, मैं यह बिल पेश करने के लिये अपने भाई को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अगर गद्दार को सजा देने के बारे में कानून में कोई कमी या लैकना है, तो उसको जरूर दूर किया जाना चाहिये। जो देश का अन्न खाता है, जो देश का जल पीता है, जो देश की वायु से जिन्दगी हासिल करता है, अगर वह देश से गद्दारी करता है, तो वह काबिले-बर्दाश्त नहीं है।

मैं श्री त्यागी और श्री कंवरलाल गुप्त से इतिफाक करता हूँ, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जिस मकसद को ले कर उन दोनों ने तकरीरों की हैं, शायद श्री यशपाल सिंह का वह मकसद नहीं है। हालांकि कम्युनिस्ट भाई मेरे करीब नहीं हैं, मैं उन से दूर हूँ और मैं यह भी मानता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं, जिन के विचार चाइना से मिलते हैं और कुछ ऐसे हैं, जिन के विचार रशिया मिलते हैं, लेकिन जिन लोगों को करोड़ों न सही, लाखों वोट मिले हैं—और उन लाखों के साथ उन की औलाद भी है—, उन सब को गद्दार कह देना या ट्रेटर्ज समझ लेना मेरे खयाल में इस देश के साथ इन्साफ नहीं है।

श्री श्री चन्द गोयल : यह बात किसी ने नहीं कही है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैंने ऐसा नहीं कहा है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे व्बोट किया है। इस लिये मुझे मौका मिलना चाहिये कि मैं इस बारे में सफाई कर दूँ।

श्री अब्दुल गनी दार : मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ।

जहाँ तक गद्दार को सजा देने का ताल्लुक है, मैं उन के साथ हूँ। श्री त्यागी और श्री गुप्त को यह हक है कि वे जो चाहें कहें। मैं उन के इस हक को चैलेंज नहीं करता हूँ। लेकिन मैं उन्हें प्यार से समझाना चाहता हूँ कि यह बात गलत है कि हम खाली विचार-धारा की बिना पर ही किसी के बारे में समझ लें कि वे इस देश के हैं ही नहीं।

जब से श्री कंवरलाल गुप्त के भाई यहां दिल्ली कांपेरिशन में ताकत में आये हैं, उनकी सराहना और तारीफ हर तरफ से होती है। कभी किसी मुसलमान ने यह शिकायत नहीं की कि चूंकि यह जनसंघ की हुकूमत है, इस लिये हमको यह पसन्द नहीं है। उन के काम की सराहना होती है, लेकिन जब वह यहां खड़े होते हैं, तो उन के दिमाग में एक चक्कर आ जाता है और वह बिल्कुल गलत चक्कर है।

उन्होंने काश्मीर का भी जिक्र किया है। अगर वह देश के हितैषी हैं, तो हाल ही में जम्मू-काश्मीर वालों की जो कनवेंशन हुई है उस के इस फैसले की उन्हें एप्रिषिएट करना चाहिये कि जम्मू-काश्मीर के हर एक रिजन की रजामन्दी के बिना कोई कदम नहीं उठाया जायेगा। उस कनवेंशन में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब शरीक थे। उस में सब पार्टियों ने भी हिस्सा लिया। जो लोग प्रो-इंडिया हैं, जो लोग प्रो-आजादी हैं, जो प्रो-प्लेक्सिडेट हैं और जो प्रो-पाकिस्तान हैं—हालांकि वे मुझे कहीं खुल्लम-खुल्ला

[श्री अब्दुल गनी दार]

काम करते दिखाई नहीं दिये—, वे सब उस कन्वेंशन में शामिल हुये। मैं भी उस कन्वेंशन में एक आबजर्वर के तौर पर गया था। उसके बारे में मैंने अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को भेजी है। मैं आनरेबल मेम्बर को भी वह रिपोर्ट भेज दूंगा। इन की पार्टी शामिल नहीं हुई। इस वक्त इन को तो फायदा उठाना चाहिये उस कन्वेंशन का न कि अब्दुल्ला को चिढ़ा कर उलटे और नुकसान उठाएं। यह बात को इन को भूलनी नहीं चाहिये कि जिस वक्त यह पैदा नहीं हुये थे उस वक्त भी जंगे आजादी का वह हीरो था। जिस वक्त इन में से कोई जेल में नहीं था उस वक्त वह जेलों में सड़ रहा था।

एक माननीय सदस्य : कौन ?

श्री अब्दुल गनी दार : शेख अब्दुल्ला जिस के चरणों में भी आप बैठने के काबिल नहीं हैं। आप के दिमाग में कैसे यह बात आ जाती है जो आप कहते हैं। आप ऐसे नहीं हैं कि आप को यह समझ बूझ नहीं है कि वतन के हक में किस वक्त कौन सी बात कहनी चाहिये। इस वक्त आप को ऐसी बात कहनी चाहिये कि जिस से कश्मीरियों के दिल जीत लें और वह सब के सब आप को प्यार करें। आप को बड़ा भाई मानें। अगर कंबर लाल गुप्त ने कन्वेंशन का रेजोल्यूशन पढ़ा होता जो उन्होंने पास किया कि कोई रीजन भी चाहे जम्मू रीजन हो, चाहे लद्दाख रीजन हो, अगर उस को कोई बात कम व कबूल नहीं है, उस के इन्टररेस्ट के खिलाफ है तो हम उस बात को नहीं मानेंगे, तो शायद वह ऐसा नहीं कहते। उस कन्वेंशन में सब लोग शामिल थे। यूनेनिमसली वह रेजोल्यूशन हुआ। तो बजाय इस के कि उन को एन्करेज करें, बजाय इस के कि हम ऐसी फिजा पैदा करें कि काश्मीर हमारा हो, हम ऐसी बातें कर के अपना और नुकसान करते हैं। यह कंबर लाल जी गुप्त हों या और कोई भाई हों, यह हमारे मोहतरिम लीडर बैठे हुए हैं जिन का मैं जिन्दगी भर का साथी हूँ, मैं पूछना

चाहता हूँ क्या हम ने या अब्दुल्ला ने कहा कि हाजीपीर के दरें तक पहुंच कर अपने हजारों नवजवान शहीद करा कर बन्दूकें उलटी कर के पीछे आ जाओ ? यह अब्दुल्ला ने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा। वह जिन्होंने किया वह क्या हैं ? वह देश प्रेमी हैं, देश की हितैषी हैं। तो बड़ा मुश्किल है किसी को दोस्त और एनीमी साबित करना। वह मेरी किताब पढ़ कर नहीं आये, वह गांधी जी की किताब पढ़ कर नहीं आये वह भगवद्गीता पढ़ कर नहीं आये, सीधे रशिया के दबाव के नीचे हुकम दिया फौज को कि पीछे मार्च करो। जब कि पाकिस्तान ने एक तरफ कहा था कि हम फौसला करना चाहते हैं मलाह और समझौते से और दूसरी तरफ हमारे ऊपर एक दम हमला कर दिया था। उस के बाद उनको क्या हक रह गया था कि हम उन का इलाका जो हम ने जीत लिया वह उन्हें वापस कर दें ?

अभी अभी गुहा जी ने बछ्शी जी का नाम लिया। बछ्शी जी ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि अब्दुल्ला की जिन्दगी में कोई फौसला करते हो तो कर लो, हो जायेगा, इज्जत के साथ हो जायेगा। इस बुड्डे के मरने के बाद मुश्किल हो जायेगा क्योंकि 80 परसेंट आदमी आज भी वहां अब्दुल्ला के साथ हैं। वह किसी और के साथ नहीं हैं। इस लिये हर एक को हकीकत को समझना चाहिये। यशपाल सिंह जी की मैं तारीफ करता हूँ। इसलिये कि एक लैकुना रह गया था जैसा कि भाई विश्वनाथन जी ने कहा और उस को दूर करना चाहिये। क्या पता नहीं है गुप्त जी को कि जितनों पर गद्दारी के मुकदमे चले वह कौन हैं ? त्यागी जी को नहीं पता कि मुकदमे किन पर चले ? किस ने फाइलें चुराई ? यह सब कुछ जानते हैं। मैं बड़े प्यार से कहूंगा कि ठाकुर यशपाल सिंह जी की जो स्पिरिट है उसको तमाम हाउस कबूल करे लेकिन कबूल करते हुए अपने मुल्क की जो इंटिग्रेशन

है जो इस में हम एक स्पिरिट लाना चाहते हैं वह स्पिरिट जब चाइना ने हमला किया था, बच्चा बच्चा एक था, वह चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे रशियन कम्युनिस्ट हो चाहे चाइनीज कम्युनिस्ट हो, वह उम वक्त समर गुहा के पीछे था। उस वक्त माओ-त्से-तुंग का झंडा किसी ने नहीं उठाया। अगर उठाते तो लोग उन को मार डालते और नहीं उठाया तो केरल में हम देखते हैं कांग्रेस वाले मिर्फ एक भाई को ला सके। 19 अपोजीशन के आये जिस में एक मुस्लिम लीग के और दूसरे भाई हैं।

इसलिये मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि आज शेख पर बरसने की कोशिश मत करो। कहते हो रुपया कहां से आता है? तुम ने करोड़ों रुपया एलेक्शन में कहां से खर्च किया? कौन सा तुम लोगों में करोड़पति है? करोड़ों रुपया जो जनसंघ का खर्च हुआ है हिन्दुस्तान में वह कौन सा करोड़पति है जिस ने दिया है? हम भी जानते हैं जहां से रुपया आता है.....(ब्यवधान) जनता से आता है? जनता जनार्दन को हम भी जानते हैं। शेख साहिब के पीछे तो 80 परसेंट जनता है, उम के मुकाबिले तुम्हारे पीछे तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पीछे तो 7 परसेंट भी नहीं हैं। अगर तुम्हें जनता करोड़ों रुपया दे सकती है तो 80 फी सदी कश्मीरी क्या शेख साहिब की डिसपोजल पर हजारों रुपया भी नहीं छोड़ सकते?

मैं जो बतलाना चाहता हूँ वह यह कि कांग्रेस और अपोजीशन दोनों दयानतदारी से सोचें कि 19 सितम्बर को क्या हुआ? कौन-कौन थे जिन्होंने मुल्क की मशीनरी को जाम करने की कोशिश की? कौन थे जिन्होंने दफ्तरों के अन्दर जा कर लोगों को उभाड़ा? इसलिये यह जरा अकल से काम लें। गद्दारी कई तरह की हो सकती है। जिस प्रकार यशपाल जी कहते हैं एनीमी का दोस्त एनीमी इस प्रकार अगर सारी बातों पर गौर करेंगे तो असलियत मालूम हो

जायेगी। मैं कहता हूँ कि काश्मीर के मुहब्बे बतन को गद्दार न कहो। कन्वेंशन की स्पिरिट को समझो। कन्वेंशन की स्पिरिट को कामयाब करने की कोशिश करो और कोशिश करो कि हिन्दुस्तान और काश्मीर का रिश्ता जो है वह अटूट रहे और हमेशा के लिये हिन्दुस्तान और काश्मीर एक ही हो कर दुनिया का मुकाबिला करें।

[शरी عبدالغنى ڈار (گورڈاؤں) :

چہر میں صاحب - میں یہ بل پیش کرنے کے لئے اپنے بھائی کو بدھائی دینے کے لئے کھڑا ہوا ہوں - کیونکہ اگر غدار کو سزا دینے کے بارے میں قانون میں کوئی کمی یا لیکچر ہے - تو اس کو ضرور دور کیا جانا چاہئے - جو دیش کا کھاتا ہے - جو دیش کا جل پینا ہے - جو دیش کی وایو سے زندگی حاصل کرتا ہے - اگر وہ دیش سے غداری کرتا ہے - تو وہ قابل برداشت نہیں ہے -

میں شری تیاگی اور شری کنور لال گپتا سے اتفاق کرتا ہوں - لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس مقصد کو لیکر ان دونوں نے تقریریں کی ہیں - شاید شری یشپال سنگھ کا وہ مقصد نہیں ہے - حالانکہ کمیونسٹ بھائی میرے قریب نہیں ہیں - میں ان سے دور ہوں اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں - جن کے وچار چائنا سے ملتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں - جن کے وچار رشیا سے ملتے ہیں - لیکن جن لوگوں کو کروڑوں نہ سہی - لاکھوں ووٹ

[شری عبدالغنی ڈار]

ملے ہیں۔ اور ان لاکھوں کے ساتھ ان کی اولاد بھی ہے۔ ان سب کو غدار کہہ دینا یا ٹریٹرز سمجھ لینا میرے خیال میں اس دیش کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔

श्री श्री बन्धु गोयल : यह बात किसी ने नहीं कही है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं ने ऐसा नहीं कहा है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे क्वोट किया है। इस लिये मुझे मौका मिलना चाहिये कि मैं इस बारे में सफाई कर दूँ।

شری عبدالغنی ڈار۔ میں ییلڈ نہیں کر رہا ہوں۔

جہاں تک غدار کو سزا دینے کا تعلق ہے۔ میں ان کے ساتھ ہوں۔ شری تیاگی اور شری گپتا کو یہ حق ہے وہ جو چاہے کہیں۔ میں ان کے اس حق کو چیلنج نہیں کرتا ہوں۔ لیکن میں انہیں پیار سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے کہ ہم خالی وچار دھارا کی بنا پر ہی کسی کے بارے میں سمجھ لیں کہ وہ اس دیش کے ہیں ہی نہیں۔

جب سے شری کنور لال گپتا کے بھائی یہاں دہلی کارپوریشن میں طاقت میں آئے ہیں۔ ان کی سراہنا اور تعریف ہر طرف سے ہوتی ہے۔ کبھی کسی مسلمان نے یہ شکایت نہیں کی کہ چونکہ یہ جن سنگھ کی

حکومت ہے۔ اس لئے ہم کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان کے کام کی سراہنا ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ یہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کے دماغ میں ایک چکر آ جاتا ہے اور وہ بالکل غلط چکر ہے۔

انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر وہ دیش کے ہتیشی ہیں۔ تو حال ہی میں جموں۔ کشمیر والوں کی جو کنونشن ہوئی ہے۔ اس کے اس فیصلے کو انہیں ایپریٹیٹ کرنا چاہئے نہ جموں۔ کشمیر کے ہر ایک رجن کی رضامندی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جائیگا۔ اس کنونشن میں ہندو۔ مسلمان۔ سکھ۔ عیسائی۔ پارسی سب شریک تھے۔ اس میں سب پارٹیوں نے حصہ لیا۔ جو لوگ پرو۔ انڈیا ہیں۔ جو لوگ پرو۔ آزادی ہیں۔ جو پرو۔ پلیسیٹنٹ ہیں اور جو پرو۔ پاکستان ہیں۔ حالانکہ وہ مجھے کہیں کہلم کھلا کام کرتے دکھائی نہیں دئے۔ وہ سب اس کنونشن میں شامل ہوئے۔ میں بھی اس کنونشن میں ایک آبزور کے طور پر گیا تھا۔ اس کے بارے میں میں نے اپنی رپورٹ پرائم منسٹر کو بھیجی ہے۔ میں آئریبل میمبرز کو بھی وہ رپورٹ بھیج دوں گا۔ ان کی پارٹی شامل نہیں ہوئی۔ اس وقت ان کو تو فائدہ اٹھانا چاہئے اس کنونشن کا نہ کہ

عبداللہ شیخ محمد کو چڑھا کر الٹی نقصان اٹھائیں۔ یہ بات ان کو بھوانی نہیں چاہئے کہ جس وقت یہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی جنگ آزادی کا وہ ہیرو تھا۔ جس وقت ان میں سے کوئی جیل میں نہیں تھا اس وقت وہ جیلوں میں سڑ رہا تھا۔

ایک مانیہ سدسیہ۔ کون۔

شری عبدالغنی ڈار : شیخ محمد عبداللہ جس کے چرنوں میں بھی آپ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ کے دماغ میں کیسے یہ بات آ جاتی ہے جو آپ کہتے ہیں۔ آپ ایسے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وطن کے حق میں کس وقت کون سی بات کہنی چاہئے۔ اس وقت آپ کو ایسی بات کہنی چاہئے کہ جس سے کشمیریوں کے دل جیت لیں اور وہ سب کے سب آپ کو بیمار کریں آپ کو بڑا بھائی مانیں۔ اگر کنور لال گپتا نے کنویشن کا ریزولوشن پڑھا ہوتا جو انہوں نے پاس کیا کہ کوئی ریجن بھی چاہے جموں ریجن ہو چاہے لداخ ریجن ہو اگر اس کو کوئی بات قبول نہیں ہے اس کے انٹیریٹ کے خلاف ہے تو ہم اس بات کو نہیں مانینگے یہ انہوں نے پڑھا ہوتا تو وہ شاید ایسا نہیں کہتے۔ اس کنویشن میں سب لوگ شامل تھے۔ یونانیصلی وہ

ریزولوشن ہوا۔ تو بجائے اس کے کہ ان کو اینکریج کریں بجائے اس کے کہ ہم ایسی فضا پیدا کریں کہ کشمیر ہمارا ہو ہم ایسی باتیں کر کے اپنا اور نقصان کرتے ہیں۔ یہ کنور لال گپتا ہوں یا اور کوئی بھائی ہوں یہ ہمارے محترم لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا میں زندگی بھر کا ساتھی ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے یا عبداللہ نے کہا کہ حاجی پیر کے درے تک پہنچ کر اپنے ہزاروں نوجوان شہید کرا کر بندوقیں الٹی کر کے پیچھے آ جاؤ۔ یہ عبداللہ نے نہیں کہا۔ میں نے نہیں کہا انہوں نے نہیں کہا۔ وہ جنہوں نے کیا وہ کیا ہیں۔ وہ دیش پریمی ہیں۔ دیش کے ہتھی ہیں۔ تو بڑا مشکل ہے کسی کو دوست اور کسی کو دشمن ثابت کرنا۔ وہ میری کتاب پڑھ کر نہیں آئے۔ وہ گاندھی جی کی کتاب پڑھ کر نہیں آئے۔ سیدھے رشیا کے دباؤ کے نیچے حکم دیا فوج کو کہ پیچھے مارچ کرو۔ جب پاکستان نے ایک طرف کہا تھا کہ ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں صلاح اور سمجھوتے سے اور دوسری طرف ہمارے اوپر ایک دم حملہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو کیا حق رہ گیا تھا کہ ہم ان کا علاقہ جو ہم نے جیت لیا وہ انہیں واپس کر دیں۔

[شری عبدالغنی ڈار]

ابھی ابھی گپتا جی نے بخشی جی کا نام لیا لیکن بخشی جی نے تو پرائم منسٹر سے کہا کہ عبداللہ کی زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہو تو کر لو، ہو جائے گا۔ عزت کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس بڑے کے مرنے کے بعد مشکل ہو جائے گا کیونکہ اسی پرسنٹ آدمی آج بھی وہاں عبداللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس لئے ہر ایک کو حقیقت کو سمجھنا چاہئے۔ یس ہال سنگھ جی کی میں تعریف کرتا ہوں۔ اس لئے کہ ایک لیکونا رہ گیا تھا جیسا کہ بھائی وشوناتھن جی نے کہا اور اس کو دور کرنا چاہئے۔ کیا پتا نہیں ہے گپتا جی کو کہ جتنوں پر غداری کے مقدمے چلے وہ کون ہیں۔ تیاگی جی کو نہیں پتہ کہ مقدمے کن پر چلے۔ کس نے فائلیں کس کو دیں۔ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ میں بڑے پیار سے کہوں گا کہ ٹھا کر یس ہال سنگھ جی کی جو سپرٹ ہے اس کو سارا ہاؤس قبول کرے لیکن قبول کرتے ہوئے اپنے ملک کی جو انٹیگریشن ہے۔ جو اس میں ہم ایک سپرٹ لانا چاہتے ہیں وہ سپرٹ جب چین نے حملہ کیا تھا۔ تب بچہ بچہ ایک تھا۔ وہ چاہے کمیونسٹ ہو۔ چاہے رشین کمیونسٹ ہو چاہے چائیز کمیونسٹ ہو وہ اس وقت سر گپتا کے پیچھے تھا۔ اس وقت ماؤ

تسے تنگ کا جھنڈا کسی نے نہیں اٹھایا۔ اگر اٹھاتے تو لوگ ان کو مار ڈالتے اور نہیں اٹھایا تو کیرل میں ہم دیکھتے ہیں کانگریس والے صرف ایک بھائی کو لاسکے۔ ۱۹ اپوزیشن کے آئے جس میں ایک مسلم لیگ کے اور باقی دوسرے بھائی ہیں۔

اس لئے میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں آج کہ آج شیخ پر برسے کی کوشش مت کرو۔ کہتے ہو رویہ کہاں سے آتا ہے۔ تم نے کروڑوں روپیہ ایلیکشن میں کہاں سے خرچ کیا ہے۔ کون سا تم لوگوں میں کروڑپتی ہے۔ کروڑوں روپیہ جو جن سنگھ کا خرچ ہوا ہے ہندوستان میں وہ کون سا کروڑپتی ہے جس نے دیا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں جہاں سے رویہ آتا ہے۔ (ویودھان) جنتا سے آتا ہے۔ جنتا جناردن کو ہم بھی جانتے ہیں۔ شیخ صاحب کے پیچھے تو اسی پرسنٹ جنتا ہے اس کے مقابلے تمہارے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے پیچھے تو سات پرسنٹ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں جنتا کروڑوں روپیہ دے سکتی ہے تو اسی فیصدی کشمیری کیا شیخ صاحب کی ڈسپوزل پر ہزاروں روپیہ بھی نہیں چھوڑ سکتے؟

میں جو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کانگریس اور اپوزیشن دونوں دیانت داری سے سوچیں کہ ۱۹ ستمبر کو کیا ہوا۔ کون کون تھے

جنہوں نے ملک کی مشینری کو جام کرنے کی کوشش کی۔ کون تھے جنہوں نے دفتروں کے ملازموں کو اور اندر جا کر اور دوسرے لوگوں کو ابھارا۔ اس لئے یہ ذرا عقل سے کام لیں۔ غدارى کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ جس پرکار یش پال جی کہتے ہیں اینیمی کا دوست اینیمی اس پرکار اگر ساری باتوں پر غور کریں گے تو اصلیت معلوم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ کشمیر کے محب وطن کو غدار نہ کہو۔ کنونشن کی سپرٹ کو سمجھو۔ کنونشن کی سپرٹ کو کامیاب کرنے کی کوشش کرو اور کوشش کرو کہ ہندوستان اور کشمیر کا رشتہ جو ہے وہ اٹوٹ رہے اور ہمیشہ کے لئے ہندوستان اور کشمیر ایک ہو کر دنیا کا مقابلہ کریں۔

شیخوہم پرکارا تپاگی : منجہ ابدال گنی دار ساہب کا بہت آادار ہے اور میں بہت بڑے देशभक्त کے रूप में उनका आदर करता हूँ। आप ने मेरा नाम भी लिया और आप ने फिर वही बात कही। मैंने शुरू में ही कहा कि कोई भी धर्म, भाषा या कोई पोलिटिकल विचार ले कर कोई भी इस देश में रहता है तो इस नाते कोई गद्दार नहीं है। यह मैंने शुरू में ही कहा है। फिर आप ने कहा कि पोलिटिकल पार्टी या एक विचार वाले जो हैं, उन के लिये ऐसा किसी का मंशा नहीं था। केवल एक ही के लिये है कि वह रहते सोते, खाते पीते, उठते बैठते तो यहां पर हैं लेकिन जिन की लायल्टी भारत के साथ नहीं है चाहे वह चाइना के साथ हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ हैं, या अमेरिका के साथ है, वह आदमी गद्दार है चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी

हो। किसी एक कौम को काहेलेते हैं? - हिन्दू मुसलमान ईसाई सब में देश भक्त है और सब में आप को वह भी मिल जायेंगे जिन की तरफ आप ने इशारा किया? आप ने तो जबान थोड़ी सी रोक दी, जो पकड़े गए वह हिन्दू थे और वह बाकायदा यहां का भेद देते रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूँ, आप यह खयाल मत कीजिए। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब कभी भी इस देश की रक्षा का सवाल आता है लोग बाग अपनी अपनी दाढ़ियां सहलाना शुरू कर देते हैं।

श्री भोलानाथ मास्टर (अलवर) : चैयर-मैन महोदय, अभी जो पिछले दो भाषण हुये जिनमें विश्वनाथन जी जैसे विद्वान के ट्रीजन शब्द के लिये क्रिमिनल कोड में शामिल करने की बात कही, उसका मैं समर्थन करता हूँ। 124 (1) के मातहत तो बहुत से कांग्रेस के लोग जानते हैं, जिन लोगों ने किसी पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लिया, खास तौर से देशी राज्यों के अन्दर सेडिशास मीटिंग ऐक्ट बराबर रहता था और मामूली बोल-चाल भी बन्द थी लेकिन जब से कांस्टीट्यूशन बन गया है और हम लोग इकट्ठे होने लगे, सभाओं की इजाजत मिल गई और बोलने की आजादी मिली, उसके बाद से उसका असर कम हुआ। लेकिन 124 (1) के मातहत राजद्रोह के मुकदमे मामूली तौर से चला करते थे और जो उस जमाने की सरकार थी, चाहे देशी राज्य थे या अंग्रेजी शासन होता था, उसमें इस प्रकार के मुकदमे 124 (1) के मातहत चला करते थे। लेकिन यह जो ट्रीजन वाला शब्द अब आया है वह चूँकि हम अपने देश को एक राष्ट्र मानते हैं और एक राष्ट्र मानने के नाते, जैसा कि अभी एक मित्त कह रहे थे, इसको एक मल्टी-नेशन देश वे कहने लगे तो इन बातों से पता लगता है कि देश के अन्दर कुछ भावनार्यों गलत तरीके से काम कर रही हैं और उनके सबूत बराबर अखबारों में आते रहते हैं। आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश

[श्री भोलानाथ मास्टर]

में जो डाकू पकड़े गए उनके पास वे हथियार थे जोकि पाकिस्तान के बने थे और उनपर मोहरें थीं। जब वहां के चीफ मिनिस्टर से पूछा गया कि इनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जानी चाहिये तो वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इस प्रकार के जो आर्म्स पकड़े गए, जिन पर पाकिस्तान ब्रान्ड लिखा हुआ है उनके खिलाफ कार्यवाही करने में स्टेट गवर्नमेंट अपने को असमर्थ पाती है। आपने यह भी पढ़ा होगा कि केरल में चाइनीज इम्बैसी से कुछ लोगों को किताबें बेचने के बहाने रुपया दिया जाता है और आपने यह भी देखा होगा कि यहां की जो चाइनीज इम्बैसी है, वह बहुत सा लिट्रेचर अपने यहां से न भेज करके कहीं गाजियाबाद से, कहीं पानीपत से, कहीं आस-पास के पोस्ट-ऑफिसों से ऐसा साहित्य भेजती है जिस में देश के प्रति विश्वासघात की बातें होती हैं। विश्वासघात के लिये उनको प्रोत्साहित करती है।

वह भी आपने सुना होगा, अभी हाल में जब नक्सबाड़ी का मामला नाकामयाब हो गया, तब उन्होंने यह कहा कि हमारे पास आर्म्स नहीं थे, हथियार नहीं थे। यदि हमारे पास आर्म्स होते तो इस सरकार का तख्ता जरूर उलट देते। य आर्म्स जहां से भी मिल सकते हों, इन को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये।

नागाओं के पास हथियार मिले ही हैं, जो चाइना ब्रान्ड के हैं। यह बात भी सही है कि कुछ लोग नागाओं की तरफ से चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिये या उन को सजा देने के लिये या इस प्रकार की जो प्रवृत्ति हमारे देश में पनपने लगी है, इस को रोकने के लिये ट्रेजन शब्द का इस्तेमाल हमारे कानून में जरूर आना चाहिये। मैं श्री यशपाल सिंह जी को धन्यवाद देता हूं, और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस शब्द को प्रोपर जगह पर लाकर उन के इस समाव

को मंजूर कर लें और उन को आश्वासन दें कि इस शब्द को जोड़ देंगे तथा एक अच्छा अमेण्डिंग बिल लायेंगे। इन की मंशा यही है कि देश से द्रोह करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हो सके, उसकी व्यवस्था हमारे कानून में हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो या कोई भी देश हो, जिस से हमारी दुश्मनी है, उसके पैसे से, उस के हथियारों से या उस के साहित्य से हमारे देश में अगर कोई विद्रोह करने की कोशिश करता है, चाहे छुप कर करे या सामने करे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय, ऐसा विधान में जरूर होना चाहिये, ऐसा कानून जरूर बनना चाहिये और मुजरिम के लिये वाजिब सजा होनी चाहिये।

श्री भोलानाथ प्रसाद (बांसगांव) : बड़े विरोध-पत्र भेजने चाहियें।

श्री भोलानाथ मास्टर : आप लोगों को पकड़ने के लिये तो उस में है। जो बिल आपके सामने आया है, वह ठीक है, इसकी शब्दावली में थोड़ी बहुत गड़बड़ है। लेकिन अभी मौलवी साहब बोल रहे थे—काश्मीर कन्वेंशन के बारे में। इस में कोई दो रायें नहीं हैं कि इस प्रकार का जब कोई कन्वेंशन होता है तो देश के अन्दर खतरे की हलचल मचती है। खुद जी० एम० सादिक साहब उस कन्वेंशन से थोड़ा परेशान हुये और वह कहने लगे कि भारत सरकार यह बात स्पष्ट करे कि उस के दिमाग में कहीं कोई कमजोरी तो नहीं आ रही है। जो सरकार आज हम चला रहे हैं वह एक कांस्टीट्यूशनल सरकार है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जैसे ही बाहर आये थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जो सरकार काश्मीर में काम कर रही है, वह गैरकानूनी सरकार है। जब वह उस सरकार को गैरकानूनी बता कर भाषण देते हैं, तो ऐसे वक्त में सोचने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये कुछ शब्दावली इस प्रकार की आपके कानून में जरूर होनी चाहिये कि जो भी देश में ट्रेजन की बात करता है, उस के खिलाफ कार्यवाही

की जा सके, उस को सजा दी जा सके। इस में कोई सन्देह नहीं कि कि शेख अब्दुल्ला हमारे माने हुए नेता रहे हैं, लेकिन जब किसी का दिमाग खराब हो जाय, तो उस को हम पकड़ न सकें—यह कमी कानून में रह गई है और जब हमारे कानून के पंडित, जानकार उस कमी को बतलाते हैं तो उस कमी को पूरा करने के लिये हमें जरूर कोई अच्छा बिल लाना चाहिये तथा श्री यशपाल सिंह जी को आश्वासन दिया जाना चाहिये कि सरकार की तरफ से हम इस शब्द को उस में जोड़ेंगे। सिडीशस शब्द उस में है, राजद्रोह है, लेकिन विश्वासघात का शब्द भी उस में आना चाहिये। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो वे अपने आपको इस देश की हुकूमत नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत मानते थे। इसी तरह से छोटे-छोटे राजे-महाराजे भी द्रोह के नाम पर कार्यवाही करते थे। जब भी हम कोई आन्दोलन प्रजा मण्डल की तरफ से करते, 124 के अन्दर हम को गिरफ्तार कर लिया जाता था, आज वह व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो केवल आन्दोलन करते थे, सभायें, मीटिंग, जलूस निकालते थे, उस में कोई हथियार की बात नहीं होती थी, लेकिन उस को षड्यन्त्र मान कर हमारे खिलाफ कार्यवाही की जाती थी। आज तो पाकिस्तान से हथियार आते हैं, चाइनीज एम्बेसी के जरिये साहित्य आता है, खुले आम भाषण दिया जाता है कि रेवोल्यूशन होगा, नक्सलवाड़ी जैसी बातें होंगी, तो ऐसा कानून न हो कि जिस में उन को पूरी तरह से सजा दी जा सके, यह तो देश के लिये बहुत घातक है और इस कमी को पूरा जरूर किया जाना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यशपाल सिंह जी को आश्वासन दे कर इस कानून में जो कमी है उस को अवश्य पूरा करें।

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : I wish to say only a very few words on this Bill, because what I have heard from various speakers has tended more

to confuse than to enlighten me. First of all no one has mentioned about the necessity for this Bill. There is an Indian Penal Code which already provides for treason in more than one section. It also provides for extreme penalty where the conspiracy deserves that penalty. Before you add another law to the statute book you have to relate it to the existing law. Otherwise, it is redundant, it may be mischievous and in any case it is a waste of public time and waste of the statute book. My second objection to this Bill is that the penalties are excessive. It is very easy to talk about death penalty. But the law about death penalty is not as easy as this House presumes. Death penalty is imposed only in very serious circumstances, not on the suspicion that somebody is enemy agent or he has conspired against the State. A point this House should remember is that the more excessive the penalty is the less it is likely to be enforced. The only way to defeat a law is to make the penalties so high that somebody is rather willing to help the victim out. I do hope that this Bill has only this virtue that it offers excessive penalties. It is not a virtue. It is its main defect.

The third point is excessive elaboration. I have never heard of three Judges of the Supreme Court or High Court considering a case before it goes for trial. This provision is something which is completely beyond me that for prosecuting a person holding an office under the Government there should be three Judges who should make the recommendation.

The next question is : if there should be three judges to make the recommendation, how many Judges should there be to hear the case, how many Judges should there be to hear an appeal. It is something so fantastic that I do not think the hon. Member really meant that a provision like this should exist.

Lastly, this is not a very pleasant subject to me. Somehow the discussion on this Bill is turned on the subject of loyalties of certain communities and certain minorities. Let me assure everyone in this House that patriotism is not the

[Shri Lobo Prabhu]

monopoly of any community, or of any religion. Patriotism is born in you and if the country has treated you well, you are ready to die for it. Let me remind the House that those who gave their lives first in the Indo-Pakistan war were Muslims and Christians and Anglo-Indian. They are suspected as minorities who lack loyalty. We are as loyal as any of you. I do hope my good friends of the Jan Sangh—they are my neighbours—will not preach as continuously by saying foreign missionaries are bad but 'you are good'. There is no distinction between foreign Christians and Indian Christians. Christians are Christians all over the world. Let that be understood clearly. If a foreign missionary is doing something wrong, he is liable as any other foreigner. I do hope that my friends in the Jan Sangh will remember this.

Thank you, Sir.

DR. RANEN SEN (Barasat) : Mr. Chairman, I stand to oppose this Bill. Sir, this a very dangerous type of Bill which leads to all sorts of witch-hunting and this Bill has been couched in such a language which can only be called frivolous. Look at such a wide definition of 'enemy agent'. Now, here in this House we have seen one Party calling somebody-else as agents of China, somebody as agents of Russia and somebody as agents of America. So, this is a sort of witch-hunting which will go on in a very dangerous way out side and will be resorted to by the Government if this Bill is passed.

Then again, there is the question of sabotage. In this House, for the last two days, we have been discussing certain Bills, namely, the Railway Ordinance, being enacted as a Bill and then the Industrial Security Force Bill and so on. There is also a lot of fighting on the word "sabotage." Today, there is a lot of discussion on this. Take for example this definition: "sabotage" means an act of destruction or an attempt to destroy any public property, or property belonging to a citizen of India which is deemed to be important" and so on. It is not only public property but property belonging to any citizen

of India. Therefore, the people who have vested interests will say, "Yes." But I say if there is any movement anywhere, any person out of any motive, may be out of misguided spirit, lays his hand on any property belonging to any Indian, he comes under the Treason Act. Is there any paucity of laws and Acts in our country to deal with such cases? Therefore, I say that this is a sort of frivolous type of words used in this Bill.

Now, we all speak of democracy inside this House: all sides, including even our Swatantra friends. I am very happy that Mr. Lobo Prabhu has made a very good speech; at least for the first time in the last two years I have agreed with him. Now, clause 3 of the Bill says:

"Whoever is suspected of an act of treason or an attempt to commit treason, shall be apprehended at once without a warrant and shall be tried in a summary way...."

Even Ayub Khan has arrested Bhutto and others with a warrant. But here no warrant is needed! I see the Deputy Minister, Shri Mohd. Shafi Qureshi, is laughing; the Government is not going to accept this. But I should like to ask our old friend, Shri Yashpal Singh, who is here for the last two terms, why he should bring in such a Bill. It is some sort of an atrocious Bill. I would rather request him to withdraw it. When you are speaking so much about democracy, what is the idea behind it? Therefore, I oppose the Bill.

श्री बेणी शंकर शर्मा (बांका) : सभापति महोदय, मैं माननीय यशपाल सिंह जी को यहां यह बिल पेश करने के लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बिल के उद्देश्य बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि बिल की धाराओं में कुछ कमी हो लेकिन उनका हम सुधार कर सकते हैं। जहां तक उद्देश्यों का सम्बन्ध है, उनके अच्छे होने में किसी प्रकार की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जैसा कि हमारे सम्माननीय सदस्य, प्रोफेसर गुहा ने भी कहा है हिन्दुस्तान की सीमा पर शत्रुओं का जमघट

नगा हुआ है। चीन और पाकिस्तान से हमें काफ़ी खतरा है। मैं सरकार से और रक्षा मन्त्री, श्री स्वर्ण सिंह से सहमत हूँ कि जहाँ तक हमारे जवानों का सवाल है, वे विदेशी हमलावरों से निपटने के लिये काफ़ी सक्षम हैं, वे शत्रुओं का भली प्रकार से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहीं हारेंगे तो आन्तरिक द्रोहियों के कारण ही जिनकी कि इस देश में कमी नहीं है और जैसा कि हम आये दिन की घटनाओं से देखते हैं। आये दिन हमारे रिकार्ड, हमारे यहाँ के नकशे शत्रुओं के हाथ में चले जाते हैं और इस कार्य में हमारे ही लोग शामिल हैं।

म किसी विचारधारा या किसी सम्प्रदाय के लोगों का विरोधी नहीं हूँ, जिसके सम्बन्ध में यहाँ कुछ लोगों ने शंका प्रकट की है। इस बिल का उद्देश्य केवल उन लोगों से निपटना है जो कि देश के शत्रु हैं, जो देशद्रोही हैं, चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हों। अभी अभी हमारे मित्र श्री वासुदेवन नायर ने यह शंका प्रकट की कि यह बिल कम्युनिस्टों के विरुद्ध लाया गया है। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारे स्वदेशी कम्युनिस्टों का सम्बन्ध है जो कि हैड-स्पन, हैड-क्वोबेन कम्युनिस्ट हैं, हम उनके विरोधी नहीं हैं बल्कि हम उनके विचारों का आदर करते हैं। हमारा द्वेष तो केवल उन लोगों से है जो रहते यहाँ हैं लेकिन अपने सारे विचार, अपने सारे आदेश पीकिंग या रूस से लेते हैं। ऐसे ही लोगों को हम देशद्रोही समझते हैं।

मैं केवल दो बातों की चर्चा करके अपना कथन समाप्त करना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से बंगाल में कम्युनिस्टों की संख्या अधिक है। वे लोग ही बिहार और यू० पी० में जाकर कम्युनिज्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। लेकिन बंगाल में जहाँ उनका एक राग है, तो बिहार में दूसरा है और यू० पी० में तीसरा। जैसा कि अभी प्रोफेसर गुहा ने कहा कि बंगाल में जगह-जगह पर बड़े-बड़े स्लोगन्स हाथ से लिखे हुए हैं कि हिन्दी नहीं चलेगी।

55LSSI/68

और भी बहुत तरह के दूसरे स्लोगन्स हैं जिनकी मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता। बिहार में वे ही कम्युनिस्ट उर्दू का प्रचार करने में भी लगे हुये हैं। बिहार में संबिद सरकार के एक अंग के रूप में जब एस० एस० पी० ने उर्दू को दूसरी राष्ट्र भाषा मानने की गलती की तो वहाँ के कम्युनिस्ट जिनमें शत प्रतिशत बंगाली थे उन्होंने रांची में एक जुलूस निकाला जिसका नारा था, उर्दू को लाल सलाम, नक्सलवाड़ी का रास्ता ही हमारा रास्ता है। वही कम्युनिस्ट भाई बंगला का समर्थन न करके उर्दू का समर्थन करते थे। इसी प्रकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एक मजूमदार साहब हैं जो वहाँ पर हिन्दी के नाम पर झगड़ा उठा रहे हैं। उनको न तो उर्दू से प्रेम है, न बंगला से प्रेम है। हमको ऐसे लोगों से सतर्क रहना है जिनका कोई सिद्धान्त नहीं, जिनको न हिन्दी के प्रति प्रेम है, न बंगला के प्रति प्रेम है और न उर्दू के प्रति प्रेम है। उनका प्रेम तो केवल देश में क्यास और कन्स्यूजन क्रिएट करने से है। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है।

जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे जवान बड़े वीर हैं, साहसी हैं, वे सीमाओं पर शत्रुओं का मुकाबला करने में पूरे सक्षम हैं किन्तु हमें आन्तरिक अशांति का ही सबसे बड़ा डर है। हो सकता है कि जब कोई विदेशी हमारे देश के उपर आक्रमण करे तो इन लोगों के द्वारा देश के अन्दर आन्तरिक अशांति पैदा कर दी जाए। इस बिल का उद्देश्य केवल उन लोगों से ही निपटना है जो कि देश में इस प्रकार का राजद्रोहात्मक कार्य करेंगे या देश के अन्दर अशांति उत्पन्न कर शत्रुओं को मदद करना चाहेंगे।

जहाँ तक बिल की धाराओं का सम्बन्ध है, मैं मानता हूँ कि उसमें कुछ धारायें ऐसी हो सकती हैं और हैं भी, जिनमें काफ़ी संशोधन की की गुंजायश है। जैसे कि श्री लोबो प्रभु ने यहाँ पर लेस पेनाल्टी की बात कही कि जितनी

श्री बेनी शंकर शर्मा

ही कड़ी सजा रखी जायेगी उतना ही उसका कम उपयोग होगा। इसलिय ऐसी धाराओं को फिर से देखने की आवश्यकता है और उनमें संशोधन की आवश्यकता है।

जहाँ तक देशद्रोह का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में हमारे भाई त्यागी जो ने काफी सफाई दे दी है लेकिन मैं देखता हूँ कुछ भाईयों के दिमाग से वह बात गई नहीं है। हमारे देश में हिन्दू भी गद्दार हो सकते हैं। उनसे भी हमें निपटना है। जो भी हमारे देश में गद्दार हैं, वे चाहे हिन्दू हों, मुसलमान हों, इसाई हों या पारसी हों, उन सब से हमें निपटना है। हमें अपने मुसलमान भाई अब्दुल हमीद और त्रिषिचयन भाई कीलर बंधुओं पर गर्व है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो गद्दार है, देशद्रोही है जोकि दुश्मन का साथ देता है, हम सबसे पहले उसका विरोध करेंगे और उसको अधिक से अधिक कड़ी सजा देने की सिफारिश करेंगे।

17 Hrs.

SHRI HUMAYUN KABIR (Basirhat) : Mr. Chairman, I would like to support the Bill for the reason that the motion is only for circulation. If it were a question of reference to the Select Committee, or a motion for consideration of the Bill, I would certainly have many reservations. But since the idea of the mover is that the Bill should be circulated for eliciting public opinion, I do not see any reason why there should be any opposition to that particular motion. And I find, in fact, that the circulation has already started inside the House. I have forgotten to bring my copy of the Bill and I asked the hon. Mover if I could borrow his copy. He told me that copy has been circulating round the House and many of the hon. Members who have spoken today have taken advantage of his copy of the Bill. If so, since the process of circulation has already started, why should we grudge that it should be circulated on a wider field at all?

I would like to make two observations on the general principles of the

Bill. First, treason should be punished as severely as possible, but after due process of law. Our pride in this country is that we have accepted a Constitution in which fundamental rights have been guaranteed, and there are many of us who resent any encroachment on the fundamental rights. In fact, from the highest judiciary to the ordinary citizens of this country there are many who believe that any attempt to tamper with these fundamental rights may be fraught with very great danger. Therefore, before we accuse anybody of treason we have to be very sure that there is not only a full examination and judicial proceedings but that we do not allow any kind of witch-hunting to come into the picture. We know in history of occasions again and again when great patriots have at times been suspected for a little while. Whoever courageously stands against the public opinion, whoever stands up against the popular will of the day, there is the danger that he may be called unfaithful and disloyal to the country. Take, for example, what happened in this House itself sometime earlier. The Kutch dispute was referred to the International Tribunal with the full consent of this House, with the approval of this House, and I consider that one of the things which the Government of India in the last few years has done which is honourable was to accept that award. And yet there were many members of this House who questioned not only the reference of that award but also the question of acceptance by the government of that award, both of which are mistaken. Take again, a man like Sheikh Abdullah. I understand that a reference was made to him by my hon. friend, Shri Abdul Ghani Dar. We may differ from him, but I think anyone who has the temerity to question his loyalty and patriotism, anyone who has the temerity to question his humanity and the sufferings and struggle which he underwent for the sake of Indian independence, that person will be falsifying history. We have, therefore, to be very careful indeed.

Again, there is a tendency today sometimes to frown upon the activities of friends from abroad. Shri Lobo Prabhu made a passing reference to it. I know

of cases where people have come from abroad for social service. Very recently I had to deal with a case in Bengal. There is a French Missionary who is a student. He had come here on a permit for social service. But when he saw the misery in the town of Howrah, when he saw the terrible condition of the slums, he undertook upon himself the task of trying to provide them with small-scale industries and with improving their condition in different ways. Immediately, those who had never stirred a finger to help the poor people, they saw mischief in his movement and his action and there was at one time an attempt peremptorily to send him out of the country. 19th October, I think, was the last day. But, thanks to the intervention of various friends, he has been given two or three years.

Therefore, we must be very careful whom we call treasonable person and, for that, I would suggest that this Bill should be circulated because then we will get every kind of reaction. And only when you have got different kind of reactions, then and then alone there can be any question of considering this particular measure which has been proposed. This is the first observation I would make.

The second observation I would make is that today while the judicial processes do guarantee protection, at the same time there is in the country a growing spirit of intolerance. Whenever people disagree there is often an attempt to shout down people. I do not accept Communism. I have, in fact, been an opponent of Marxism from 1930 when I first came into contact with the international Communist movement. Since that time on two grounds I have always opposed Communism. By proclaiming the doctrine of the dictatorship of the proletariat they have struck at the very root of democracy and by preaching violence they have destroyed the very foundations of democracy. At the same time, I would say that I would stand for the right of the Communists, to preach their point of view so long as they do so in a constitutional way and only resort to actual persuasion. When they resort

to violence and try to curb down the opinion of those who are opposed to them, we shall oppose them even more vigorously.

Therefore, on the one hand, we must be very, very careful indeed before we dare to call anyone a traitor and tar anyone with the blemish of treason. Even when there is a charge, we must be extremely careful in ensuring that all the judicial processes are gone through and that full protection is given to the individual to protect his fair name and his rights.

With these two reservations I would support the move for circulation because this curculation will enable a very large section of the people to express their opinion on the Bill which my hon. friend, Shri Yashpal Singh, has moved.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : Sir, Within the 16 years of independence our country has been subjected to two external aggressions. We had to guard our country not only against external aggression but also against internal subversive activities. We must have enough powers and measures to punish anti-national activities that take place in the country. Spying or treason or any kind of help to the enemy or any anti-national activity has to be severely dealt with.

I welcome the spirit behind the Bill introduced by the hon. Member, Shri Yashpal Singh. But we have to consider whether we have got enough powers or not to deal with all these things. We may not have the Treason and Treachery Bill as they have in England by name but we have got enough laws like the Indian Penal Code, the Citizenship Act and the Official Secrets Act. Also, it is under consideration to have the Unlawful Activities Prevention Bill passed.

The IPC covers the whole country and everybody is subject to this. Section 121 clearly says that whoever wages war against the Government of India or attempts to wage war or abets the waging of such war shall be punishable with death and shall also be liable to a fine. Subsequent sections deal with conspiracy

[Shri K. S. Ramaswamy]

and such other things. We have got capital punishment also suggested in the new Bill. The Official Secrets Act was amended in 1967 and there also very severe punishment is provided for all spying activities and other anti-national activities. The Unlawful Activities Prevention Bill, which was introduced in 1967, has been referred to a Joint Committee and we are expecting the report of the Joint Committee. If that is passed, that will provide punishment against cession and secessional activities.

It is not that we do not have enough powers. It may be that we do not have a definition of 'enemy' as pointed out by Shri Tenneti Viswanatham. But whether it is an enemy or a friend, we have got enough powers to deal with them if they indulge in anti-national activities. So far, we have relied upon these Acts and we do not find any necessity to amend any of them. If any necessity arises in future for any amendment of the Indian Penal Code, we can have that amended. There is no such necessity for a comprehensive Bill like the one brought forward by my hon. friend Shri Yashpal Singh. As rightly suggested by Shri Lobo Prabhu and Master Bhola Nath, I think, this Bill is redundant.

With these words, I oppose the Bill for its circulation.

श्री यशपाल सिंह (देहरादून): काफी समय हो चुका है। मैं उन सब लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने इसका विरोध किया है और उनका भी जिन्होंने इसके पक्ष में भाषण किये हैं। हमारी संस्कृति में सब का सम्मान किया जाता है। हम कोई डिक्टेटर नहीं हैं। हम प्रजातन्त्रवादी देश हैं। हर एक की भावनाओं का हम आदर करते हैं। मेरी प्रार्थना मंत्री महोदय से यह है वह अपने रिमार्क्स को वापिस लें और इस बिल को मंजूर कर लें, जो मोशन मैंने दिया है उसे मंजूर कर लें। उनके पास इस वक्त कोई देश-द्रोह का कानून नहीं है। बजाय इसके कि वह अधिन कर फिरें, दुबारा इसके लिए रूपया खर्च करें, दुबारा इमी प्रोमीजर को एडाप्ट

करें, दुबारा पार्लिमेंट का समय लें, जो इन्फोर्सेट सा बिल उनके सामने रखा गया है, मेरी प्रार्थना है कि अपने रिमार्क्स को वापिस लेकर वह इसको मंजूर कर लें, मोशन को स्वीकार कर लें। यह निर्दोष-सा मोशन है। किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी ग्रुप या घड़े के खिलाफ नहीं है। जो भी द्रोही हैं, जो राष्ट्र की अवहेलना करते हैं, जो दुश्मन के जासूस हैं, जो गद्दार हैं और विश्वासघाती हैं उनको सजा देने के लिए आपके पास काफी कानून पहले से नहीं है। अगर होता तो आप उसका प्रयोग करते।

हमने देखा है कि करोड़ों रूपया इक्ठ्ठा करके फौज तक उसको नहीं पहुंचने दिया गया और बीच में ही खा गए, जिन्होंने सोना इक्ठ्ठा किया वार फंड के लिए उसको वहां तक पहुंचने नहीं दिया, नेशनल डिफेंस के नाम से इक्ठ्ठा करके उसको पहुंचने नहीं दिया, उनमें से किसी को फांसी तक नहीं दी गई। फांसी तो बहुत बड़ी चीज है किसी को ब्लैक-लिस्ट तक नहीं किया गया। ब्लैक-लिस्ट करना तो बड़ी चीज है, किसी को पांच मिनट हवालालात में बन्द तक नहीं किया गया। पांच मिनट हवालालात में बन्द करना बड़ी चीज है, किसी को गधे पर चढ़ा कर काला मुंह कर दिल्ली के बाजारों में घुमाया तक नहीं गया। इस वास्ते कोई न कोई तो आपके कानून में कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने सभा के सामने यह मोशन रखा है और मुझे बड़ी भारी आशा है कि सब लोग इसे मंजूर करेंगे। जहां तक वापिस लेने का सम्बन्ध है, वह मेरा धर्म नहीं है।

रामो द्विर्निर्वाचित राम का वंशज कह कर वापिस नहीं लेता है। मेरा अनुरोध है कि अगर आपको खर्च का डर लगता है तो जितना खर्च होगा हम देंगे, हमारे लोग देंगे। आपको जो दिक्कत की चीज है उसको हमें आप बतायें और हम दूर करेंगे।

मेरी दरखवास्त है कि इस बिल को वापिस लेने की बात आप न कहें वल्कि इसे आप मंजूर

करें और आप ने जो रिमाकर्स दिये हैं, उन्हें आप वापिस लें।

MR. CHAIRMAN : Does the hon. Member withdraw the Bill ?

SHRI YASHPAL SINGH : No, Sir.

17.18 HRS.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill to provide for punishment to persons found guilty of treason and matters connected therewith, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1968."

The Lok Sabha divided

Division No. 6]

AYES

[17.19 hrs.

Amat Shri, D.
Bramhanandji, Shri
Deb Shri, D. N.
Deo, Shri P. K.
Dharangadhra, Shri Sriraj Meghrajji
Goyal, Shri Shri Chand
Gupta, Shri Kanwar Lal
Kabir, Shri Humayun
Khan, Shri H. Ajmal

Kunte, Shri Dattatrya
Majhi, Shri M.
Naik, Shri G. C.
Sharma, Shri Beni Shanker
Solanki, Shri P. N.
Tapuriah, Shri S. K.
Viswanatham, Shri Tenneti
Yashpal Singh, Shri

NOES

Ahirwar, Shri Nathu Ram
Arumugam, Shri R. S.
Bhandare, Shri R. D.
Bhattacharyya, Shri C. K.
Deshmukh, Shri K. G.
Gudadinni, Shri B. K.
Kamalanathan, Shri
Kamble, Shri
Krishnamoorthi, Shri V.
Kureel, Shri B. N.
Laskar, Shri N. R.
Lobo Prabhu, Shri
Mandal, Dr. P.
Mangalathumadam, Shri
Master, Shri Bhola Nath
Melkote, Dr.
Menon, Shri Govinda
Mohamed Imam, Shri
Mondal, Shri J. K.
Mukerjee, Shrimati Sharda
Oraon, Shri Kartik
Parmar, Shri Bhaljibhai
Parthasarathy, Shri
Patel, Shri Manubhai

Patil, Shri S. D.
Pramanik, Shri J. N.
Prasad, Shri Y. A.
Qureshi, Shri Mohd. Shaffi
Raju, Shri D. B.
Ram Dhani Das, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram Swarup, Shri
Rana, Shri M. B.
Rao Shri V. Narasinha
Rao, Shri J. Ramapathi
Raut, Shri Bhola
Roy, Shri Bishwanath
Rao, Shri V. Narasinha
Saleem, Shri M. Y.
Sambasivam, Shri
Sanjit Rupji, Shri
Sen, Shri Dwaipayana
Sen, Shri P. G.
Sen, Dr. Ranen
Sharma, Shri M. R.
Shastri, Shri B. N.
Siddeshwar Prasad, Shri
Snatak, Shri Nar Deo
Sreedharan, Shri A.
Supakar, Shri Sradhakar

MR. DEPUTY-SPEAKER : The result* of the Division is : Ayes : 17; Noes : 48.

The motion was negative

This House further resolves that he be sentenced to simple imprisonment till 6 P.M. on the 18th November, 1968, and sent to Tihar Jail, Delhi."

The motion was adopted

17.20 HRS.

MOTION RE : CONTEMPT OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : I beg to move :

"This House resolves that the person calling himself Shri Gopal Tripathi who threw some papers from the Visitors' Gallery on the Floor of the House at 3 P.M. today and whom the Watch and Ward Officer took into custody immediately has committed a grave offence and is guilty of the contempt of this House.

This House further resolves that he be sentenced to simple imprisonment till 6 P.M. on the 18th November, 1968, and sent to Tihar Jail, Delhi."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"This House resolves that the person calling himself Shri Gopal Tripathi who threw some papers from the Visitors' Gallery on the Floor of the House at 3 P.M. today and whom the Watch and Ward Officer took into custody immediately has committed a grave offence and is guilty of the contempt of this House.

17.21 HRS.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Article 368) by Shri Nath Pai

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we shall take up Mr. Nath Pai's Bill.

Mr. Nath Pai.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : I have raised a Constitutional objection. I have given notice that it should be referred to the Attorney-General.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let him move first.

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated—Anglo-Indians) : Mr. Deputy-Speaker, may we know what is the time allotted for this discussion ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : 2½ hours. But you know, as the debate develops, the Chair has some discretion. We shall consider it at the proper time. I know what you want.

SHRI FRANK ANTHONY : The general feeling is we have discussed on at least three occasions; it is a sweeping measure and it is better. . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : After a lengthy debate it was referred to a Joint Committee.

*The following Members also recorded their Noes :—

Ayes : Shri K. P. Singh Deo.

Noes : Shri Himatsingka.